अध्याय – 17

रेलों के विद्युतीकृत (इलेक्ट्रीफाइड) सेक्शनों पर गाड़ियों का संचालन

17.01 **साधारण नियमों का लागू होना** – इस अध्याय के नियमों में अन्यथा किए गए उपबन्धों के सिवाय, गाड़ियों के संचालन से संबंधित सभी नियम रेलों के विद्युतीकृत सेक्शनों में भी लागू होगें।

स. नि. 17.01 (क) गाड़ियों के संचालन के सम्बन्ध में सभी सहायक नियम इस अध्याय में उल्लिखित नियमों में दिये गये उपबन्ध को छोड़कर विद्युतीकृत सेक्शनों में भी लागू होगें।

ख) सभी कर्मचारी जो चल स्टॉक के परिचालन से संबंधित है उन्हें इन नियमों का पूर्ण ज्ञान रखना होगा। वे इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगें कि कर्मचारी, जो उनके अधीन कार्यरत हैं, वे अपने कार्य से संबंधित निर्देश से पूरी तरह निपुण हैं और सामान्य और असामान्य परिस्थिति में सही विधि का अनुपालन करेगें।

17.02 **इस अध्याय को लागू विशेष परिभाषाएं** – इन नियमों में, यदि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो तो–

1. '' विद्युत रेल पथ और निर्माण कार्य'' का अभिप्राय कर्षण संस्थापन (ट्रेक्शन इंस्टालेशन) से है, जिनके अन्तर्गत ऐसे ऊपरी उपस्कर और अन्य संबद्ध निर्माण कार्य भी है जिनकी व्यवस्था रेल के विद्युतीकृत सेक्शनों में की गई है।
2. संभरण पोस्ट (फीडिंग पोस्ट) का अभिप्राय ऐसी सप्लाई नियंत्रण पोस्ट (सप्लाई कंट्रोल पोस्ट) से है, जहाँ ग्रिड उप स्टेशन से आने वाली संभरक (फीडर) लाईनें समाप्त होती है।
3. निरावेशित सेक्शन (न्यूट्रल सेक्शन) का अभिप्राय है, विद्युत रोधित (इंसुलेटेड) और निष्क्रिय (डेड) ऊपरी उपस्कर का वह छोटा सेक्शन, जो समीपस्थ उप स्टेशनों अथवा संभरण पोस्टों (फीडिंग पोस्ट) द्वारा संभरित (फीड) क्षेत्रों को पृथक करता है।
4. विद्युत ब्लॉक (पावर ब्लॉक) का अभिप्राय लाईन के किसी सेक्शन पर केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरूद्ध करने से है।
5. ''प्रदाय नियंत्रण पोस्ट'' (सप्लाई कंट्रोल पोस्ट) का अभिप्राय है अवरोध को (इंटरप्टर) पृथककारी स्वीचों (आइसोलेटर स्वीचों), दूर नियंत्रण उपस्कर (रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट) और अन्य उपकरणों का समुच्चय, जिनकी व्यवस्था ऊपरी उपस्कर को शक्ति प्रदाय (पावर सप्लाई) नियंत्रण के लिए की जाती है। इसके अन्तर्गत संभरण पोस्ट (फीडिंग पोस्ट), सेक्शनिंग और पैरेलेलिंग पोस्ट और उप सेक्शनिंग पोस्ट है।
6. ''टावर वैगन'' का अभिप्राय एक ऐसे स्वनोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड) वाहन से है जो ऊपरी उपस्कर के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है।
7. ''कर्षण शक्ति नियंत्रक'' (ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर) का अभिप्राय उस सक्षम रेल सेवक से है जो उस समय कर्षण वितरण प्रणाली पर शक्ति के प्रदाय (पावर सप्लाई) के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

स. नि. 17.02. इस अध्याय पर लागू होने वाली अतिरिक्त परिभाषायें –

1. ***प्राधिकृत व्यक्ति*** *– का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे उसको नियुक्ति से संबंधित कार्यो को संपन्न करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, और प्राधिकार, उस प्रयोजन के लिए अधिकृत रेल प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।*
2. ***विपद क्षेत्र*** *का अर्थ वह क्षेत्र है जो किसी भी सक्रिय उपस्कर से 2 मीटर के अन्दर हो और जहाँ उपस्कर सक्रिय हो उसके अंदर किसी को भी काम करने की इजाजत नहीं हो।*

3. ***भूयोजन*** *– का अर्थ है, भूमि की संवाहक संहति या उसके साथ सीधे विद्युतीय सम्पर्क में कोई संवाहक केवल ऊपरी उपस्कर के प्रयोजन के लिए भूयोजन में पथ वापसी सर्किट तथा ऊपरी उपस्कर की आलम्बक संरचनायें भी शामिल होंगी यदि ऐसी संरचनायें भूमि या पथ वापसी से संबद्ध हो।*

भूयोजन या भूमि से संबद्ध – का अर्थ है भूमि की सामान्य संहति से इस प्रकार से संबद्ध होना कि बिना खतरे के ऊर्जा का हर समय विसर्जन सुनिश्चित किया जा सके।

4. ***विद्युतित पथ*** *– का अर्थ है ऊपरी उपस्कर से सज्जित पथ।*

5. ***विद्युतीय मार्ग या निर्माण का निरीक्षक*** *– का अर्थ ऊपरी उपस्कर शक्ति, आपूर्ति प्रस्थापन, दूरस्थ नियंत्रण उपस्कर के निर्माण या अनुरक्षण के लिए या इनसे संबंधित अन्य कार्यो के लिए जिम्मेवार कोई फोरमैन या विद्युत चार्ज मैन।*

6. ***अवरोधक*** *– का अर्थ बिना किसी स्वचालित रोक युक्ति का कोई एक पक्षीय तैल परिपथ ब्रेकर।*

क) ***सेतु बन्ध अवरोधक*** *– का अर्थ एक अवरोधक जो न्यूट्रल सेक्शन में होता है जो सामान्यतः ऊपरी उपस्कर के सेक्टर को फीड करने के लिए एक उप स्टेशन को दूसरे उप सेक्शन द्वारा आपातकाल के दौरान अथवा जब बाद वाला खराब हो जाता है तो इसे समर्थवान बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यह अवरोधक सामान्यतः खुली स्थिति में रहता है।*

ख) ***सेक्शन अवरोधक*** *:– का अर्थ एक प्रकार का अवरोधक होता है जो आपूर्ति की निरंतरता बनाये रखने के लिए एक साथ पार्श्ववर्ती उप सेक्टरों को जोड़ता है। यह अवरोधक सामान्यतः बंद अवस्था में रहता है।*

ग) ***सामान्तर अवरोधक*** *– उस अवरोधक को कहते है जो विभिन्न दो रेलपथ के ऊपरी उपस्कर को जोड़ता है। यह अवरोधक सामान्यतः बन्द अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए रहता है।*

7. ***आइशोलेटर*** *– का अर्थ है ऊपरी उपस्कर के प्रारंभिक सेक्शनों को जोड़ने या अलग करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्वीच।*

8. ***लाईन मैन*** *– का अर्थ है ऊपरी लाईनों तथा उनसे सम्बन्धित स्वीचों पर कार्य करने तथा उनके निरीक्षण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति।*

9. ***सक्रिय उपस्कर*** *– का अर्थ है कोई भी विद्युतीय उपस्कर जो विद्युतीय रूप से सक्रिय है। विद्युतीय उपस्कर को तब सक्रिय कहा जाएगा जब उपस्कर और भूयोजन के बीच विभवान्तर हो अथवा जब इसे किसी दूसरे संवाहक के साथ अथवा परिपथ के साथ, जोड़ा जाए जिसमें इस प्रकार का विभवान्तर विद्यमान हो।*

10. ***पेन्टोग्राफ*** *– का अर्थ है बिजली इंजन या मोटर यान की छत पर आसीन और वहाँ से विसंवाहित एक उठने – गिरने वाला युक्ति (साधन) जो ऊपरी उपकरण से विद्युत धारा संग्रह करने के साधन से सज्जित हो।*

11. ***कार्यानुमति*** *– का अर्थ एक ऐसे घोषणा फार्म से है जो किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो और विद्युतीय उपकरण पर अथवा उसके निकटस्थ किये जानेवाले कार्य के प्रभारी व्यक्ति को यह बताने के लिए दिया जाता है कि ठीक–ठीक कौन सा उपकरण निष्क्रिय है और भूयोजित कर दिया गया है तथा उस पर या उसके निकटस्थ पर कार्य करना सुरक्षित है।*

12. ***यातायात अवरोध*** *– का अर्थ है सभी यातायात के संचालन के विरूद्ध किसी पथ को ब्लॉक करना।*

13. ***ऊपरी उपस्कर*** *– का अर्थ है रेल पथ के ऊपर विद्युत संचालक और साथ में सहकारी फिटिंग, इन्सुलेटर तथा अन्य उपांग जिसके सहारे वे अवलम्बित और ठीक स्थिति में निबद्ध रहते है।*

14. ***निष्क्रिय (डेड) उपस्कर*** *– का अर्थ वह विद्युत उपस्कर है जो विद्युतीय रूप से सक्रिय नहीं है।*

15.

(i) ***पटरी बन्ध*** *– का अर्थ है किसी जोड़ अथवा दो पार्श्ववर्ती पटरियों के बीच आर पार विद्युत सम्पर्क।*

(ii) ***बन्ध निरंतरता*** *– का अभिप्राय उस रेलबन्ध से है जो पटरी द्वारा वापसी परिपथ के निरंतरता को बनाये रखने के लिए प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग पर प्रयोग में लाया जाता है।*

(iii) ***बांड क्रॉस*** *का अर्थ एक रेल बांड से है जो रेल पथ के दो पटरियों या पार्श्ववर्ती रेल पथ की पटरियों को जोड़ने के काम में लाया जाता है।*

(iv) ***बांड इंपिडेन्स*** *– का अभिप्राय एक दोहरी लाईन रेल परिपथ पर सिगनल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा एक बांड लगाया जाता है जो कर्षण की वापसी प्रवाह को धीमा इंपिडेन्स रास्ता देता है तथा ट्रैक सर्किट प्रवाह को संबंधित उच्च इंपिडेन्स देता है।*

(v) ***बांड जोड़*** *– का अर्थ उस विद्युत संयोजन से जो साथ वाली लम्बाई के पटरी के बीच पटरी की परिपथ वापसी के लिए जोड़ तैयार करता है।*

(vi) ***बांड संरचना*** *– का अर्थ उस विद्युत संयोजन से है जो रेलपथ पुल या स्टेशन भवन के इस्पात कार्य के बीच, जिसे कर्षण ऊपरी उपस्कर जुड़ा है और रेल परिपथ वापस होता है।*

17.03 **विद्युत रेल पथ तथा निर्माण कार्य निरीक्षण** – विद्युत रेल पथ और निर्माण कार्यो का निरीक्षण, इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारियों द्वारा विशेष अनुदेशों के अनुसार और उन्हें सौंपे गये कर्तव्यों के अनुरूप, नियमित रूप से किया जाएगा।

स. नि. 17.03 (1) (क) विद्युतीय मार्ग या निर्माण का प्रत्येक निरीक्षक विद्युतीय मार्ग तथा निर्माण एवं उसकी देखरेख के अंतर्गत अन्य उपकरण के कारगर अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार होगा।

(ख) वह उन सभी दुर्घटनाओं या विद्युतीय मार्ग या निर्माण में दोषों के बारे में, जिनसे वह समझता है कि गाड़ियों के सुरक्षित संचालन या कार्मिकों की सुरक्षा में बाधा की संभावना है, तुरन्त कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचना देगा और साथ ही साथ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही भी करेगा। कर्षण शक्ति नियंत्रक इससे आगे तुरंत इंजीनियर प्रभारी को यह सूचना दे देगा।

2. ***औजारों तथा सामग्री की जिम्मेवारी*** *– विद्युतीय मार्ग या निर्माण का प्रत्येक निरीक्षक अपनी देख रेख के अंतर्गत सभी ब्रेक डाउन उपस्कर, वायरिंग, गाड़ियाँ, टावर वैगन, लॉरियों, ट्रॉलियों आदि के समुचित एवं कारगर अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार होगा। वह सुनिश्चित करेगा कि इनके लिए अनुमोदित सूची के अनुसार पूर्ण मात्रा में भण्डार तथा स्पेयर पुर्जे विद्यमान है। महीने में कम से कम एक बार वह झंडियों, सिगनल बत्तियों, पटाखों, औजारों तथा यंत्रों का निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उक्त उपकरण अपने में पूर्ण और अच्छी स्थिति में है। वह यह भी देखेगा कि कोई दोषपूर्ण या खोई सामग्रियों को बदल दिया गया है या नहीं।*

3. ***कार्यकारी दल का सिगनलों तथा उपकरणों का ज्ञान*** *– प्रत्येक विद्युतीय मार्ग या निर्माण निरीक्षक यह देखेगा कि –*

(i) *उसके अधीन काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को हाथ के सिगनलों एवं पटाखा सिगनलों का सही – सही ज्ञान है और*

(ii) *उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक ऊपरी उपस्कर कार्यदल को प्रशासन के द्वारा अन्य औजारों या यंत्रों के अलावा दो सेट झंडी सिगनल, दो हाथ सिगनल बत्तियाँ और 10 पटाखे दिए गए है।*

4. ***कर्मचारी की जिम्मेवारी और उपकरण*** *– (क) कार्य के समय कर्मचारी उस गैंग के वरीष्ठ सदस्य की देखरेख में रहेगें जो किया जा रहे सभी कार्यो के निर्धारित नियमों तथा ऐसे अनुदेशों के अनुसार जो रेल प्रशासन द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किए गए हो ठीक – ठीक ढंग से किये जाने के लिए जिम्मेवार होगा। विद्युतीय उपकरण पर या उसके समीप कार्य कर रहे अशिक्षित कर्मचारी के मामलें में उनकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कार्य की परिस्थितियाँ, और विद्युतीय उपकरण की सुरक्षा प्रभारी द्वारा उन्हें भली भांति समझाई जाएगी।*

(ख) प्रत्येक सदस्य अपने कार्य से सम्बन्धित सुरक्षा के लिए पूर्व सतर्कता से तथा उनके अनुपालन से पूर्ण परिचित होगा।

5. ***पेन्टोग्राफ की निगरानी के लिए गश्ती कर्मचारी*** :–

(क) सभी ऊपरी उपस्कर लाईन कर्मचारी, जब वे गश्ती पर हो, गुजरने वाले बिजली चल स्टॉक के पेन्टोग्राफों पर निगरानी रखेंगे और यदि कोई दोष नजर आता है, तो वे इसकी रिपोर्ट कर्षण शक्ति नियंत्रक को यथा शीघ्र आपात टेलीफोन सर्किट द्वारा या यदि आपात टेलीफोन सर्किट नहीं हो, तो किसी अन्य टेलीफोन द्वारा बिजली चल स्टॉक का नम्बर, दोष की स्थिति और समय, जब उसे नोट किया का विवरण देते हुए, देगा।

(ख) कर्षण शक्ति नियंत्रक दोषपूर्ण पेन्टोग्राफ की सूचना कर्षण लोको नियंत्रक को देगा जो बिजली और चल स्टॉक को दोषपूर्ण पेन्टोग्राफ के परीक्षण के लिए यथा संभव शीघ्र रोक देने की व्यवस्था करेगा।

6. ***रेल कर्मचारी द्वारा असामान्यताओं की सूचना देना*** *– (क)किसी रेल कर्मचारी द्वारा ऊपरी उपस्कर या किसी अन्य कर्षण उपस्कर जिसमें बांड भी शामिल है, में देखे गए सभी ब्रेक डाउन या दोषों की सूचना तुरंत कर्षण शक्ति नियंत्रक को दी जाएगी। ऐसे मामलों में जब कि उसे सूचना नहीं दी जा सकती हो, तो समीपवर्ती स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर, कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) या सहायक विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) को सूचित किया जाएगा। अबवाधबन्ध के मामलें में सहायक सिगनल एवं दूर संचार अभियंता को सूचना दी जाएगी। स्टेशन मास्टर या केबिन स्टेशन मास्टर जिसे ब्रेक डाउन या दोषों की सूचना दी जाएगी, तुरंत कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचित करेगा। संचार की विफलता के मामलें में यातायात के संचालन में वह अपने स्वविवेक का उपयोग करेगा और सबसे समीपवर्ती कर्षण कर्मचारी को सूचना देगा।*

(ख) जब ऊपरी उपस्कर पर ऐसे दोषों का पता चलता है जिनसे विद्युत इंजनों, विद्युत मल्टीपुल यूनिट के पेन्टोंग्राफ को क्षति होने की संभावना है, तो इसकी सूचना पाने वाला रेल कर्मचारी कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचना देगा जो आगे खण्ड नियंत्रक को, प्रचालन नियमों के अनुसार स्टेशन मास्टर द्वारा चालकों को आवश्यक सतर्कता आदेश जारी करने की व्यवस्था करने को कहेगा। कर्षण शक्ति नियंत्रक भी संबंधित कर्षण वितरण पर्यवेक्षक को सहायक नियम 17.04 (1) के अनुसार पेन्टोग्राफ लोअर बोर्ड के प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए सूचित करेगा।

कर्षण शक्ति नियंत्रक सबसे समीप के स्टेशन मास्टर को दोष की सूचना देने के अतिरिक्त संबंधित रेल कर्मचारी, विद्युत इंजन/विद्युत मल्टीपुल यूनिट के पेन्टोग्राफ को क्षति से बचाने के लिए लाईन सुरक्षित करने की चेष्टा करेगा।

(ग) ऊपरी (उपस्कर) लाईन के टूट जाने के मामले में इसका पता लगाने वाला रेल कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक कोई प्राधिकृत व्यक्ति घटना स्थल पर पहुँच न जाए कोई व्यक्ति लाइन के सम्पर्क में न आने पावे । प्रभावित लाईन को डेड और अर्थ करने की अविलम्ब कार्यवाही प्राधिकृत व्यक्ति करेगें।

7. चालकों का ऊपरी उपस्कर पर निगरानी रखना

(क) विद्युतीकृत खण्डों में काम करने वाले सभी चालक (डीजल तथा विद्युत) जहाँ तक संभव हो तथा जिससे उनकी प्राथमिक ड्यूटी में किसी प्रकार हस्तक्षेप न हो, ऊपरी उपस्कर पर निगरानी रखेंगे।

(ख) जब ऊपरी उपस्कर में ड्रॉपरों या केटरनरी से सम्पर्क तार के टूट जाने जैसा हल्का दोष पाया जाता है तो बिजली इंजन/ विद्युत मल्टीपुल यूनिट के लिए व्यवहारिक होगा कि वह दोषपूर्ण सेक्शन में (कोस्टिंग) फिसलते हुए जाए, परन्तु अगले स्टेशन पर, यदि आवश्यक हो तो वगैर क्रम के ठहराव देकर स्टेशन मास्टर के माध्यम से कर्षण शक्ति नियंत्रक को दोष की सूचना देगें।

(ग) जब ऊपरी उपस्कर के दोष से किसी बिजली इंजन या मोटर यान के पेन्टोग्राफ के अवाध संचालन के प्रभावित होने की संभावना हो या यह क्षतिकारक हो तो विद्युत चालक/ मोटर मैन अपने इंजन/यूनिट के सर्किट के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा और तुरंत पेन्टोग्राफ को गिरा देगा। दोष पूर्ण सेक्शन को पार कर जाने के बाद वह नजदीकी आपात सर्किट तक कर्षण का स्पर्श बनाये रख सकता है और असामान्यता का पूर्ण विवरण देते हुए कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचना देने की कोशिश करेगा।

(घ) *यदि आवश्यक हो तो कहीं आपात ठहराव भी दिया जाएगा।*

(ड.) *ऊपरी उपस्कर में बड़ा ब्रेक डाउन हो जाने के मामले में जिससे गाड़ियों को रोकना अपेक्षित हो, ऐसे ब्रेक डाउन का पता पाने वाला चालक ब्रेक डाउन का विवरण देते हुए नजदीकी आपात टेलीफोन सर्किट के माध्यम से कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचना देगा और यदि परिपथ उपलब्ध न हो तो नजदीकी स्टेशन मास्टर के माध्यम से या किसी अन्य टेलीफोन परिपथ से सूचना देगा। कर्षण शक्ति नियंत्रक, ऐसी सूचना पाने पर सेक्शन नियंत्रक को समुचित अनुदेश देगा और यदि आवश्यक हो तो प्रभावित खण्ड में गाड़ियों का संचालन बंद करने की भी राय देगा।*

(7 ए) जब शिरोपरी उपस्कर का कोई सेक्शन दोषपूर्ण पाया जाय तो बिजलीकृत खंड में नियंत्रकों, स्टेशन मास्टरों और गाड़ी दस्ते द्वारा विशेष पूर्व सावधानियाँ:–

1. *विद्युतीकृत खण्डों में, शिरोपरी उपस्कर दोषपूर्ण होने पर, कर्षण शक्ति नियंत्रक दोषपूर्ण खण्ड का तुरंत पता लगायेगा और उसे अलग कर देगा। दोहरी और बहुलाईन खण्डों में भी उसी मार्ग दूरी पर पार्श्ववर्ती रेलपथ पर का दोषहीन सेक्शन भी दोषपूर्ण सेक्शन के ही तरह, अलग कर दिया जाएगा। उसके पश्चात् कर्षण शक्ति नियंत्रक दोषपूर्ण पाये गए सेक्शन और दोषहीन सेक्शन के खण्ड नियंत्रक को उन्हें अस्थायी रूप से अलग कर दिये जाने की सूचना देगा।*

2. *कर्षण शक्ति नियंत्रक से सूचना प्राप्त होने पर सेक्शन नियंत्रक तुरंत निम्नलिखित के अनुसार कार्रवाई करेगा :–*

(क) *दोषपूर्ण सेक्शन (खण्ड) – सेक्शन नियंत्रक प्राइवेट नम्बर का आदान – प्रदान करके प्रभावित सेक्शन में गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को सूचित करेगा कि वे दोषपूर्ण सेक्शन को ऐसा समझे जैसे कि वह आपात पावर ब्लॉक के अन्तर्गत हो और तद्नुसार कार्रवाई करें।*

(ख) *अस्थायी तौर पर अलग किया हुआ दोषहीन खण्ड – सेक्शन नियंत्रक यह जांच करेगा कि शिरोपरी उपस्कर में दोष आने से पहले दोषपूर्ण सेक्शन के ब्लॉक सेक्शनों में से किसी के अन्दर कोई गाड़ी चली गई थी या नहीं। यदि नहीं, तो वह कर्षण शक्ति नियंत्रक को अस्थायी तौर पर अलग किए गए दोषहीन सेक्शन को पुनः शक्तियुक्त करने के लिए सूचित करेगा। शिरोपरी उपस्कर में दोष उत्पन्न होने से पहले दोषपूर्ण सेक्शन में ब्लॉक सेक्शन के अन्दर कोई गाड़ी चली गई है तो सेक्शन नियंत्रक दोषपूर्ण सेक्शन में गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित सभी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को तुरंत सूचना देगा और उन सेक्शनों में भी जिसके अंदर दोषहीन शिरोपरी उपस्कर को अस्थायी तौर पर अलग कर दिया गया है, प्राइवेट नम्बर का आदान – प्रदान करके सूचना देगा कि वे उस समय तक संबंधित ब्लॉक सेक्शन में किसी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं देगें जबतक पहली गाड़ी के गार्ड और चालक दोनों को निम्नलिखित प्रकार के सतर्कता आदेश नहीं जारी कर दिए जाते है :–*

(i) *अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए, विशेष सतर्कता रखते हुए उस गति से आगे बढ़े जो 10 कि0 मी0 प्र0 घं0 से अधिक न हो।*

(ii) *तेज नजर रखें और किसी बाधा के, जो पार्श्ववर्ती लाईन/लाईनों से किसी अतिलंघन (इनफ्रिंजमेंट) के कारण आ सकती है, आते ही रूक जाने के लिए तैयार रहे। यह देखने के लिए भी तेज नजर रखे कि शिरोपरी उपस्कर पर कोई असामान्यता जैसे – तार का लटकना, कैन्टीलीवर अवयवों का टूटना और लटकना आदि तो नहीं है।*

(iii) *अगले स्टेशन पर पहुंचते ही सूचना दें कि जिस खण्ड से होकर आए है वह गाड़ियों के संचालन के लिए सुरक्षित है या नहीं।*

2.1. *केवल इन कार्यवाईयों के बाद खण्ड नियंत्रक, कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचित करेगा कि आवश्यक सतर्कतायें बरती गई है।*

3. *खण्ड नियंत्रक से सूचना पाकर, कि गाड़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पूर्व सतर्कतायें बरती गई है, कर्षण शक्ति नियंत्रक अस्थायी रूप से अलग किए गए दोषहीन सेक्शनों को फीड संग्रहीत (रेस्टोर) करेगा।*

4. *प्रभावित सेक्शन में सतर्कता आदेश सहित पहली गाड़ी भेजने के बाद उसके बाद की गाड़ी सेक्शन नियंत्रक की अनुमति लिए बिना प्रवेश करने नहीं दी जाएगी। गति प्रतिबंधों को हटाने की कार्यवाई ऊपर संदर्भ के अनुसार ड्राइवर और गार्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर के साथ परामर्श करके खण्ड नियंत्रक द्वारा की जाएगी। खण्ड नियंत्रक, तब कर्षण शक्ति नियंत्रक को गाड़ी के चालक एवं गार्ड के रिपोर्ट को सूचित करेगा कि शिरोपरी उपस्कर में कोई अतिलंघन और/ या असामान्यता तो नहीं है। गति प्रतिबंध हटाने के संबंध में जब तक निर्णय नहीं ले लिया जाता, प्रभावित सेक्शन में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को उपर्युक्त पैरा में बताये अनुसार गतिप्रतिबंधों और अन्य सतर्कताओं का साफ साफ उल्लेख करते हुए सतर्कता आदेश जारी किए जाते रहेंगें।*

5. *यदि प्रभावित सेक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश कर चुकी है और शिरोपरी उपस्कर में टेंशन नहीं होने के कारण 5 मिनट से अधिक समय से खड़ी है, शक्ति आपूर्ति चालू हो जाने पर ड्राइवर 10 कि0 मी0 प्र0 घं0 की अधिकतम चाल से अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए अत्यन्त सावधानी के साथ ताकि कोई बाधा आने पर तुरंत रूक सके, स्टेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। चालक और गार्ड दोनों ही पाश्वर्ती लाईन/लाईनों पर यह देखने के लिए तेज नजर रखेगें कि शिरोपरी उपस्कर में तार लटकने, कैण्टी लीवर अवयवों के टूटने या लटकने आदि जैसे असामान्यताएं तो नहीं है और अगले स्टेशन पर रिपोर्ट देंगे कि ठहराव के बाद सेक्शन के जिस हिस्से पर गाड़ी चली है वह गाड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित है या नहीं।*

यदि पास में कोई आपात संचार साकेट उपलब्ध हो जहाँ कि बीच सेक्शन में गाड़ी खड़ी थी तो चालक/ सहायक चालक कर्षण शक्ति नियंत्रक से सम्पर्क करेगा और आदेश प्राप्त करेगा।

6. *जब बिद्युतीकृत सेक्शन में कोई गाड़ी रूक जाए और रूकने का कारण तुरंत स्पष्ट न हो तो चालक और गार्ड सामान्य नियम 6.03 के अंतर्गत नियमों के अनुसार गाड़ी की रक्षा करने के लिए तुरंत कार्यवाही करेंगें।*

8. ***बिजली उपस्कर तक पहुँच*** *– (क) कर्षण शक्ति नियंत्रक की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति को किसी आइसोलेटर या अन्य यंत्र के जो बिजली उपस्कर का अंग हो या उसके संबंध में प्रयोग किया जाता हो, पास पहुँचने या उसे संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*

(ख) कर्षण शक्ति नियंत्रक की पूर्वानुमति के बिना मुख्य चालू लाईन या लूप लाईन/लाईनों के फीड को प्रभावित करने वाला स्वीच न तो बन्द किया जाएगा और न खोला जाएगा। इस नियम का एक अपवाद यह है कि आपात की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ये स्वीच खोले जा सकते हैं। सेक्शन या पृथक्कारी स्वीचों के संचालन की रिपोर्ट हर मामलें में कर्षण शक्ति नियंत्रक के पास दी जाएगी।

(ग) सभी बाहरी स्वीचों की चाभियाँ सामने शीशा लगे हुए बक्से मे ताला बंद कर स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर या अन्य किसी व्यक्ति की देखरेख में जो स्वीचों के आसपास ही उपलब्ध हो सके, रखी जाएगी। चाभियाँ किसी प्राधिकृत व्यक्ति के मांग प्रस्तुत करने पर दी जाएगी और प्राप्ति के लिए उसका हस्ताक्षर इसी प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में करा लिया जाएगा।

(घ) चालू उपस्कर वाले चैम्बर या बाड़े (इन्क्लोजर्स) सामान्य रूप से बन्द रहेंगे जिनमें ताला बन्द रहेगा और चाभियाँ किसी प्राधिकृत व्यक्ति के देखरेख में रहेगी। एक डुप्लीकेट चाभी सामने स्थायी शीशा लगे बक्से में मण्डल बिजली अभियंता (कर्षण) वितरण द्वारा अधिसूचित स्थान पर रखा रहेगा। आपात स्थिति के समय बक्से के शीशे को तोड़कर कोई प्राधिकृत व्यक्ति चाभी निकाल सकता है। चाभी के ऐसे हरेक उपयोग का रिकार्ड रखा जाएगा।

चाभी बोर्ड के शीशे को तोड़ देने की स्थिति में चाभी या चाभियाँ उस समय तक सहायक स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर की देखरेख में रखी रहेंगी जब तक शीशा फिर से नहीं लगा दिया जाता। कर्षण शक्ति नियंत्रक इसका रिकार्ड रखेगा कि चाभियाँ कहाँ रखी गई है ताकि आपात स्थिति में वह कार्यदल को निर्देश दे सके।

जब डुप्लीकेट चाभी को प्राप्त करने के लिए शीशे को तोड़ा जाय तो संबंधित कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) को शीशा लगाने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी। शीशा बदल कर लगाने वाला व्यक्ति उस प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जो पुनः स्थापना की तारीख लिखेगा।

(ङ.) बिजली उपस्कर वाले चैम्बर या बाड़े में जो सामान्य दशाओं में सक्रिय रहता है काम करने वाला व्यक्ति उस चैम्बर या बाड़े की चाभी अपने पास रख लेगा। ये चाभियाँ उस व्यक्ति को चैम्बर या बाड़े में ताला बन्द होने के तुरंत बाद ही वापस की जाएगी जिसके पास ये सामान्य रूप से रहती है।

(च) कार्यानुमति तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक चाभियाँ बक्से में वापस नहीं रख दी जाती या उस व्यक्ति को नहीं दे दी जाती जिसकी देख रेख में अक्सर रखा जाता है।

(छ) आपात स्थिति में कर्षण नियंत्रक के विशेष निर्देशानुसार कोई स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर ऐसे स्वीचों को संचालित कर सकता है। प्रत्येक स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर उसके स्टेशन पर या उसके केबिन के पास ऊपरी उपस्कर को शक्ति की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए व्यवस्थित पृथक्कारी स्वीचों की स्थिति की पूर्ण जानकारी रहेगी और आपात स्थिति में उन्हें खोलने और बंद करने के सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए।

(ज) ऊपरी उपस्कर में असामान्यता की कोई रिपोर्ट होने पर और यदि कर्षण वितरण कर्मचारी की राय में किसी सेक्शन का पृथक्करण आवश्यक समझा जाय तो वह कर्षण शक्ति नियंत्रक के साथ अपेक्षित सेक्शन के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा। यदि स्थानीय संचालन द्वारा ऐसा पृथक्करण संभव होगा तो वह स्वयं संचालन करेगा और कर्षण शक्ति नियंत्रक को इसकी सूचना देगा।

(झ) यदि कर्षण शक्ति नियंत्रक पृथक्कारी स्वीच को खुला या बंद रखना चाहता हो तो वह सहायक कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) या स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर या किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अपेक्षित स्वीच संचालित करने को कहेगा। आदेश पालन करने के बाद वह व्यक्ति स्वीच को ''खुला या बन्द'' स्थिति में, जैसा भी मामला हो, ताला बन्द कर देगा और कार्यवाही की सूचना कर्षण शक्ति नियंत्रक को दे देगा। इस प्रकार के प्रत्येक परिचालन का रिकार्ड सम्बन्धित व्यक्ति ही रखेगा।

9. विद्युतीय मार्ग तथा निमार्ण का निरीक्षण ए.सी. कर्षण मैनुअल तथा समय–समय पर रेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

10. ***कर्षण वितरण कार्यदल की सुरक्षा*** :– (क) ऊपरी उपस्कर पर कोई भी कार्य, जिससे लाईन में बाधा पड़ने की संभावना है, तब तक आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक –

(i) आवश्यक कार्यनुमति नहीं प्राप्त हो गई हो, और

(ii) या तो आवश्यक यातायात अवरोध (ब्लॉक) प्राप्त नहीं हो गया हो या सामान्य नियम 15.09 के अन्तर्गत आवश्यक सिगनल नहीं प्रदर्शित किये गए हो।

(ख) ऊपरी उपस्कर पर काम शुरू करने से पहले या ऊपरी उपस्कर के ब्रेक डाउन के मामले में जब किसी गाड़ी को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना आवश्यक हो जाए तो ऐसी अधिसूचना के लिए जिम्मेदार कार्यदल/दलों का प्रभारी व्यक्ति प्रचलित नियमों के अनुसार सतर्कता आदेश जारी कराने की व्यवस्था करेगा।

(ग) ऊपरी उपस्कर मरम्मत के अधीन होने पर या किसी अन्य बाधा के कारण जब चालक को यह संकेत देना कि उसे रूकना है या सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है या पेन्टोग्राफ नीचे कर लेना है, आवश्यक हो जाय तो इसकी सूचना सेक्शन नियंत्रक/सहायक स्टेशन मास्टर को कर्षण शक्ति नियंत्रक/विद्युत चार्जमैन /लाईनमैन/फीटर द्वारा परिशिष्ट में दर्शाए गए निर्धारित प्रोफार्मा ई सी आर 3 में उन कर्षण संरचनाओं का जिनके बीच इनका पालन करना है, दी जाएगी और उसके लिए विहित पावती प्राप्त की जायेगी। सूचना प्राप्त होने पर खण्ड

नियंत्रक/ए. एस. एम. नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करेगा। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद कर्षण शक्ति नियंत्रक/ बिजली चार्जमैन/लाईनमैन/फीटर, खण्ड नियंत्रक/ए. एस. एम. को दी गई नोटिस को विहित प्रोफार्मा की अपेक्षित पन्नी जारी कर रद्द करेगा।

11. *(क) स्वीचों के संचालन, कार्यानुमति का जारी करना और अन्य महत्वपूर्ण संवाद से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा भेजने और प्राप्त करने का समय देकर एक रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।*

(ख) स्वीचों के संचालन और कार्यानुमति के जारी करने की पुष्टि प्राइवेट नम्बर के द्वारा की जाएगी।

(ग) प्राइवेट नम्बर के साथ – साथ सभी सूचना, विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए रखी गयी पुस्तिकाओं से जारी की जाएगी और उन्हीं में प्राप्त की जायेगी।

(घ) वह व्यक्ति जो शक्ति अवरोध (ब्लॉक) की मांग करता और उसे प्राप्त करता है शक्ति की आपूर्ति के पूर्वस्थिति में आने से पहले उसी व्यक्ति के द्वारा इसे रद्द करना चाहिए। प्राइवेट नम्बर का आदान – प्रदान करने वाले व्यक्ति टेलीफोन पर एक दूसरे के नाम से परिचित हो जाने चाहिए।

12. ***बिजली उपस्कर पर कार्य –*** *(क) कार्य आरंभ करने से पहले और पूरे समय के लिए जब तक बिजली उपस्कर में से किसी भाग या उससे संलग्न अंश पर काम किया जाता हो तो बिजली उपस्कर के उस भाग को, इसमें नीचे लिखे खण्ड (ख) और (ग) को छोड़कर निष्क्रिय बना दिया जाएगा और भूयोजित कर दिया जायेगा । कार्य करने वाले प्रत्येक दल को अलग भूयोजनों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। जब ऊपरी उपस्कर को या संप्रेषण लाईनों को भूयोजित करना आवश्यक हो तो कम से कम दो भूयोजन काम में लगाये जाएंगे जिनमें से एक एक कार्य करने वाले दल के प्रत्येक पार्श्व में रहेंगे।*

(ख) आभ्यन्तर उच्च वोल्टता वाले बिजली उपस्कर को छोड़कर ऐसे बिजली उपस्कर पर जो सक्रिय है या निष्क्रिय है और भूयोजित नहीं किया गया हैं, प्राधिकृत कर्मचारी काम कर सकते है पर शर्त यह है कि ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण पूर्व सतर्कता हो, प्राधिकरण और पूर्व सतर्कताएं रेल प्रशासन द्वारा विहित की जायेंगी।

(ग) ऐसे आभ्यन्तर उच्च वोल्टता वाले बिजली उपस्कर पर जो भूयोजित नहीं है परन्तु विद्युत ऊर्जा की मुख्य आपूर्ति से इस तरीके से पृथक किया हुआ है कि इस पर कार्य करना सुरक्षित है, प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा कार्य किया जा सकता है। इन शर्तों को समाहित करने वाली पूर्व सतर्कताएं रेल प्रशासन विहित करेगा।

(घ) अवरोधकों या पृथक्कारी स्विचों पर, जिन्हें अनुरक्षण के लिए बिजली उपस्कर को पृथक करने के प्रयोजन से खोला गया हो, खतरे की नोटिस रिमोट कण्ट्रोल सेन्टर में तत्संबद्ध स्विचों पर सुस्पष्ट स्थिति में प्रदर्शित की जायेंगी और यदि संचालन स्थानीय तौर पर हाथ से किया गया हो तो खतरे के बोर्ड उसके अतिरिक्त अवरोधक पर या स्विच के परिचालन हत्थे पर या पृथक्कारी के बाड़े पर और नियंत्रण उपकरण पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

(ङ.) किसी सक्रिय या भूयोजित नहीं किए हुए इनडोर आभ्यन्तर या बाहरी 400 वोल्ट से अधिक के उपस्कर पर काम करने की अनुमति नहीं है। पृथक्करण परीक्षा लेने का प्रयोजन ही ऐसा अवसर है जब अनुरक्षण कर्मचारी भूयोजित नहीं किए हुए उपस्कर पर उस दशा में काम कर सकते है जब कि यह पृथक कर दिया गया हो। परीक्षण पूरा होने पर कोई कार्य आरंभ करने से पहले उपस्कर भूयोजित कर दिया जाएगा।

(च) इन्सुलेटेड ओभर लैप स्पैन या सेक्शन विसंवाहको पर तब तक कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा जब तक दोनों तरफ ऊपरी उपस्कर के संबद्ध सेक्शन निष्क्रिय नहीं कर दिए जाते और उन्हें भूयोजित नहीं कर दिया जाता। सेक्शनिंग प्वाइंट के मामले में आइसोलेटिंग स्वीच, ब्रिजींग या सेक्शनिंग इन्टरप्टर जो ओभर लैप स्पैन को ब्रिज करता है, बंद कर दिया जाएगा।

(छ) ऊपरी उपस्कर के खतरा – क्षेत्र में कार्य :– ऊपरी उपस्कर के किसी ऐसे सेक्शन में जो सामान्य रूप से सक्रिय है या उससे संलग्न या ऐसे उपस्कर के आलम्ब के किसी मार्ग पर जो ऊपरी उपस्कर के सक्रिय भागों में 2 मीटर (6 फीट 7 इंच) से कम दूरी

पर स्थित है, काम आरंभ करने से पहले इन्हें निष्क्रिय बना कर भूयोजित कर दिया जाएगा। काम करने वाले दल के दोनों पार्श्व में कम से कम दो भूयोजनों की व्यवस्था की जाएगी।

13. ***सेवा भवन (सर्विस बिल्डिंग) और सक्रिय उपस्कर के इर्द*** *– गिर्द संरचनाओं पर कार्य करना :–*

(क) जब सेवा भवनों और ऊपरी उपस्कर के समीप संरचनाओं पर कार्य करना अपेक्षित हो तो रेल कर्मचारी विशेष ध्यान यह सुनिश्चित करने के लिए देगा कि औजार माप लेने वाले फीते, सामग्रियां आदि इस स्थिति मे नहीं रखे गये हैं, जहां से उनके गिरने या बिजली उपस्कर से संपर्कित होने की संभावना है।

(ख) जहाँ भी ऐसा कार्य उन दशाओं में करना है जिनमें कार्य करने वालों या अन्य व्यक्तियों को खतरा है वहां प्राधिकृत ऊपरी उपस्कर कर्मचारियों के उपस्थित रहने की व्यवस्था की जाएगी जो संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यथा आवश्यक पूर्व सतर्कताएं बरतेंगे।

14. ***सक्रिय ऊपरी उपस्कर को सहारा देने वाले संरचनाओं पर काम करना*** *:–*

(क) ऊपरी उपस्कर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति किसी ऐसी संरचना पर जो ऊपरी उपस्कर का आलम्ब है, बिना कार्यानुमति कार्ड प्राप्त किए हुए न तो चढ़ेगा और न काम करेगा। मंडल बिजली इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना किसी संरचना पर कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा और न ही कोई वस्तु चिपकाई जाएगी। (देखें सा. नि. 17.04)

(ख) ऊपरी उपस्कर को निष्क्रिय बना देने के बाद किसी संरचना के खतरा क्षेत्र में जब कार्य आरंभ करना हो तो ऊपरी उपस्कर का परीक्षण और इसे भूयोजित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य कर्मचारी संरचना पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करेगा जब तक वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले दल के प्रभारी व्यक्ति से संरचना पर चढ़ने का निश्चित आदेश नहीं प्राप्त कर लेता है तथा इन आदेशों के अतिरिक्त कोई सूचना या सिगनल इस संबंध में अनुमत्य नहीं है।

(ग) दल के प्रभारी व्यक्ति के यहां से एक अन्य व्यक्ति द्वारा काम करने वाले व्यक्ति को आदेश दिए जायें। ऐसा व्यक्ति दल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा संवाद वाहक के रूप में व्यक्तिगत रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा और लाईन मैन से निम्न पद का व्यक्ति नहीं होगा।

(घ) खण्ड (ग) में कार्य करने वाले व्यक्तियों को आदेश पहुंचाने के लिए प्रतिनियुक्त सभी व्यक्तियों को कार्य करने वालों से पहले ही परिचित करा दिया जाएगा और कार्य करने वालों को सूचित कर दिया जाएगा की संरचनाओं पर चढ़ने संबंधी आदेश उन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के सिवाय अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए जाने पर किसी दशा में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

(ड.) प्रभारी व्यक्ति या खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति संरचना पर चढ़ने के लिए अपने आदमियों को आदेश देने से पहले यह बतलायेगा कि ऊपरी उपस्कर का कौन सा सेक्शन निष्क्रिय है और कौन सा सेक्शन सक्रिय है और संरचनाओं का कौन सा भाग कार्य करने के लिए सुरक्षित है। प्रभारी व्यक्ति या खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति स्वयं इस बात से संतुष्ट हो लेगा कि उन सभी काम करने वालों ने, जिनको उसने संरचना पर चढ़ने का आदेश दिया है, उसके विवरण को साफ – साफ समझ लिया है।

(च) बहु मार्गों पर एक छोर से दूसरे छोर तक फैली संरचनाओं पर जहाँ ऊपरी उपस्कर के एक या अनेक सेक्शनों के समीप काम चल रहा हो, प्रभारी व्यक्ति लाईन या लाईनों को काम पूरा हो जाने पर सक्रिय बनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेगा कि लाईन या लाईनों के समीप खतरा क्षेत्र से सभी आदमी और सामग्रियां हटा ली गई है।

(छ) जहाँ दो या अधिक मार्गों का ऊपरी उपस्कर एक ही संरचना पर आलंबित हो और एक मार्ग के ऊपरी उपस्कर पर कार्य कराना है जब कि पाश्ववर्ती मार्ग का ऊपरी उपस्कर सक्रिय है तो कर्मचारी काम पूरा करने के लिए ऊपरी उपस्कर तक बूम के सहारे पहुंच

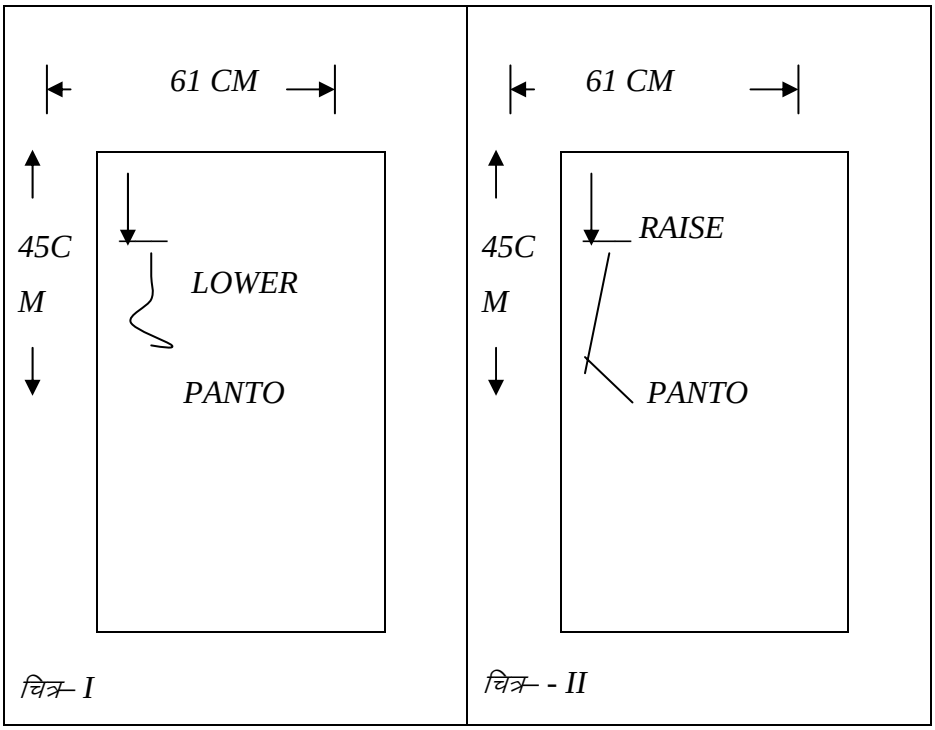
पाने के निमित्त सक्रिय ऊपरी उपस्कर पर न काम करेगा और न चढ़ेग। जहाँ आवश्यक होगा, सीढ़ियां, रेस्सल या ऐसे साधन काम पूरा करने के लिए ऊपरी उपस्कर तक पहुंचने के निमित्त प्रयोग में लाये जायेंगे।

15. ***संरचनाओं की रंगाई*** *– केवल जब कार्यानुमति प्राप्त हो गई हो और ऊपरी उपस्कर ठीक ढंग से भूयोजित कर दिया गया हो तो किसी सक्रिय उपस्कर से 1 मीटर से कम दूरी पर की पथ संरचनाओं के भाग खुरचे, साफ किए और रंगे जा सकते है। ऊपरी उपस्कर के संरचनाओं के दूसरे भाग के ऊपरी लाईनों के सक्रिय होने पर साफ किए और रंगे जा सकते है जब तक कि उस स्थल पर विशेष परिस्थितियों के कारण यह असुरक्षित या अनुचित सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में उपस्कर को निष्क्रिय बनाकर भूयोजित करने के बाद ही काम किया जाएगा।*

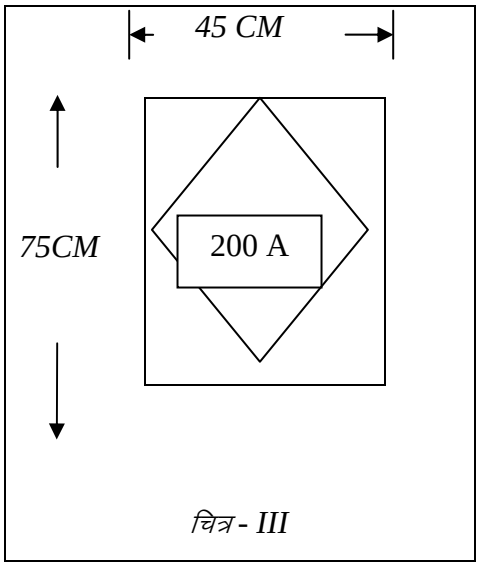
16. ***सिगनल दिखाना*** *– (क) जब ऊपरी उपस्कर के मरम्मत के अधीन होने या किसी अन्य बाधा के कारण चालक को यह सूचित करना आवश्यक हो जाये कि उसे ठहर जाना है या सावधानी पूर्वक सिगनलों तक आगे बढ़ना है जैसा कि सा0नि0 15.09 के अन्तर्गत उल्लिखित है तो इसे कर्षण कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।*

सूचक बोर्डो का आकार एवं साइज इसको छोड़कर कि इनको अलग खंभों पर लगाने के बजाय पटरी तल से 2.13 मीटर की ऊँचाई पर ऊपरी उपस्कर कर्षण मस्तुलों पर लगाया जाएगा, स. नि. 15.09 (1) के अनुसार होगें।

(ख) जब ऊपरी उपस्कर के दोषपूर्ण हो जाने के कारण, बिजली चल स्टॉक के पेण्टोग्राफ को नीचे करना आवश्यक हो जाय, तो एक अस्थायी पेण्टो लोअर बोर्ड जैसा चित्र I में है, अवरोध से एक मास्ट आगे ऊपरी उपस्कर मास्ट पर लगा दिया जाएगा। चालक को यह सूचित करने के लिए कि वह दोषपूर्ण सेक्शन में पहुंच रहा है, एक चेतावनी बोर्ड, जैसा चित्र III में है, 200 मीटर की दूरी पर मास्ट पर लगा दिया जाएगा। पेण्टो को उठाने की सूचना देने के लिए एक दूसरा बोर्ड, जैसा चित्र II में है, दोषपूर्ण सेक्शन के बाद मास्ट पर लगा दिया जाएगा।



चित्र– I *चित्र– - II*



चित्र - III

ये बोर्ड कर्षण मास्ट पर पटरी तल से 2.13 मीटर की ऊँचाई पर लगाये जायेंगे । ये बोर्ड, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, रात के समय स्थायी बत्तियों या हाथ बत्तियों से प्रकाशित किए जायेगें।

नीले रंग से रंगे हुए पेण्टो लोअर प्रतीक वाले पीले बोर्ड को लेकर एक व्यक्ति दोषपूर्ण सेक्शन के दो मास्ट आगे चालक को अपना पेण्टोग्राफ नीचे कर लेने के लिए सूचना देने हेतु तैनात किया जायेगा। चालकों द्वारा सतर्कता पालन सुनिश्चित करने के लिए दोहरे लाइन सेक्शन पर अवरोध के स्थल से पहले पड़ने वाले स्टेशन पर और इकहरे लाईन सेक्शन के मामले में दोनों तरफ के स्टेशनों पर सभी गाड़ियां रोक दी जाएगी और पेण्टो नीचे करने के लिए सतर्कता आदेश जारी किए जाएंगे। वे गाड़ियां जो सामान्यतया थ्रू चलती है इस प्रयोजन के लिए अनियमित रूप (आउट ऑफ कोर्स) से रोक दी जाएगी।

17.04 बिजली उपस्कर पर कार्य करने की अनुमति – यदि विद्युत उपस्कर या उसके किसी अन्य भाग के समीप, सक्षम रेल सेवक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है तो ऐसा काम केवल तभी और उतनी ही अवधि तक किया जायेगा जब तक कि उस कार्य के प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति ने, विशेष अनुदेशों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत रेल सेवक से, कार्य करने की अनुमति लिखित और संभवतः हस्ताक्षरित रूप में प्राप्त कर ली है । वह उस अनुमति को, कर्षण शक्ति नियंत्रक (ट्रैक्शन पावर कन्ट्रोलर) की जानकारी में ही जारी करेगा ।

स. नि. 17.04

1. ***ऊपरी बिजली उपस्कर के खतरा क्षेत्र में कार्य करना*** *– कार्य आरंभ करने से पहले और उस सम्पूर्ण समय के लिए जब तक बिजली उपस्कर के किसी भाग पर या उसके इर्द गिर्द काम किया जाता है तो इन नियमों में जैसा कि उपबन्ध किया गया है उसे छोड़कर बिजली उपस्कर को निष्क्रिय बनाकर भूयोजित कर दिया जाएगा। निम्नलिखित पारा 4, 5, 9 तथा 10 के अनुसार कर्षण शक्ति नियंत्रक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से एक कार्यानुमति प्राप्त की जाएगी। कार्यानुमति प्राप्त हो जाने के बाद और ऊपरी उपस्कर के खतरा क्षेत्र के भीतर कोई कार्य आरंभ करने से पहले प्रत्येक कार्य करने वाले दल के दोनों पार्श्व में कम से कम 2 भूयोजनों की व्यवस्था की जाएगी।*

2. ***शक्ति अवरोध (पावर ब्लॉक) तथा बिजली कर्षण या ऊपरी उपस्कर पर कार्यानुमति की प्रक्रिया*** *:–*

(क) विद्युतीकृत अंचल के वे सभी विभाग, जो शक्ति अवरोध की अपेक्षा करते है या जो कर्षण उपस्कर के खतरा– क्षेत्र में कार्यानुमति की अपेक्षा करते है या जिन्हें ऊपरी लाईन और/या अनुसूचित अनुरक्षण के लिए स्थल पर उपस्थित रहने वाले बांडिंग कर्मचारियों की आवश्यकता

है, मंडल बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) के कार्यालय में प्रत्येक सोमवार के सुबह 10 बजे तक विहित फार्म में :–

(i) *कार्य की प्रकृति और तिथि जब इसे करना है*

(ii) *किसके द्वारा काम किया जाना है*

(iii) *कार्य का स्थान और ब्लॉक की जाने वाली लाईन का सेक्शन*

(iv) *किन गाड़ियों के बीच अवरोध अपेक्षित है और*

(v) *क्या डीजल यातायात के लिए मार्ग उपलब्ध रहेगा, दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे।*

(ख) *सभी विभागों की आवश्यकतायें मंडल बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) के कार्यालय में समन्वित की जायेंगी और एक समेकित विवरण प्रत्येक बुधवार को 12 बजे तक संबंधित मंडल परिचालन प्रबंधक के पास यातायात और शक्ति अवरोध के साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा।*

(ग) *आवश्यक प्रकृति वाले कार्य कर्षण शक्ति नियंत्रक से आपात् अवरोध तथा कार्यानुमति प्राप्त होने पर किये जाएंगे।*

(घ) *यातायात अवरोध, शक्ति अवरोध तथा कार्यानुमति को शामिल करते हुए कार्य का एक साप्ताहिक कार्यक्रम मंडल परिचालन प्रबंधक के कार्यालय में तैयार किया जाएगा और शुक्रवार की शाम तक सर्व संबंधित को आगामी सोमवार के आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए भेज दिया जाएगा।*

टिप्पणी :– पैरा 3, 4 और 5 में बताई गई प्रकिया शक्ति अवरोध प्राप्त करने के लिए अवश्य ही अपनायी जाएगी और साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाने के बावजूद भी प्रत्येक विहित मामले में कार्यानुमति प्राप्त की जायेगी।

3. ***विद्युतीकृत सेक्शन में शक्ति अवरोध (पावर ब्लॉक) की व्यवस्था करने की प्रक्रिया*** *:–*

(क) *जब शक्ति अवरोध संस्वीकृत कर दिया जाएगा तो कर्षण शक्ति नियंत्रक सेक्शन नियंत्रक को एक शक्ति अवरोध संदेश (विहित फार्म में) दोहरी प्रतियों में संदेश वाहक के माध्यम से या टेलीफोन से गुप्त संख्या का आदान – प्रदान करते हुए जारी करेगा। सेक्शन नियंत्रक, स्टेशन मास्टरों या केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों से इस बात की पुष्टि करेगा कि सेक्शन बिजली यातायात के लिए नीचे लिखे उप नियम (11) (ख) में उल्लेख के अनुसार अवरूद्ध रहेगा। इसके बाद वह या तो संदेश की एक प्रति विधिवत् पावती स्वीकृत करके, उस पर समय का अवरोध कब तक के लिये दिया जाएगा, उल्लेख करते हुए वापस भेज देगा या कर्षण शक्ति नियंत्रक को गुप्त संख्या द्वारा समर्थित वही सूचना देते हुए टेलीफोन पर संदेश देगा। इसके बाद कर्षण शक्ति नियंत्रक सेक्शन नियंत्रक द्वारा उल्लिखित समय पर संबंधित बिजली उपस्कर के हिस्से को निष्क्रिय बनाने और पृथक करने की व्यवस्था करेगा और उपर्युक्त पैरा (2) तथा (3) में उल्लेख के अनुसार उस पर एक कार्यानुमति जारी करेगा।*

(ख) *तथापि, आपात् मामलों में कर्षण शक्ति नियंत्रक पहले पावर का स्विच बन्द कर देगा और उसके बाद सेक्शन नियंत्रक को आरोपित शक्ति अवरोध तथा ऐसा किये जाने के कारणों की सूचना देगा।*

(ग) *जब बिजली उपस्कर के अंश पर कार्यानुमति रद्द कर दिया गया हो और कर्षण शक्ति नियंत्रक सामान्य दशाओं को पुनः प्राप्त कर लिया हो तो वह सेक्शन नियंत्रक को जारी की गई शक्ति अवरोध सूचना की दो प्रतियों में भेजी गई सूचना पर या गुप्त संख्या का आदान – प्रदान करते हुए टेलीफोन पर रद्द कर देगा।*

4. ***बिजली कर्षण या ऊपरी उपस्कर के खतरा क्षेत्र में कार्यानुमति प्राप्त करने का तरीका–प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य के द्वारा कार्य किए जाने के लिए*** *–*

(क) *कार्यानुमति कर्षण शक्ति नियंत्रक के यहां से किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ली जाएगी जो नियत बिजली उपस्कर को भूयोजित करेगा और कार्य के प्रभारी व्यक्ति को एक कार्यानुमति कार्ड देकर उसकी दूसरी प्रति पर पावती ले लेगा। प्रत्येक कार्यानुमति कार्ड की दूसरी प्रति जारी करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के अधिकार में रखी जाएगी।*

(ख) *कार्य पूरा हो जाने और बिजली उपस्कर से तथा उसके अगल – बगल से आदमियों के हट जाने तथा सामग्रियों को हटा लिए जाने पर कार्य दल का प्रभारी व्यक्ति उसके कार्यानुमति*

कार्ड को रद्द कर देगा और प्राधिकृत व्यक्ति जिसने इसे जारी किया था, को वापस कर देगा। इसके बदले में प्राधिकृत व्यक्ति कार्यानुमति को नीचे 3 (ग) में उल्लेख के अनुसार रद्द करेगा।

5. ***बिजली उपस्कर या ऊपरी उपस्कर के खतरा क्षेत्र में कार्यानुमति प्राप्त करने का तरीका–प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्य के लिए :–***

(क) नीचे उपनियम (9) में यथा उल्लिखित को छोड़कर, कार्यानुमति प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा कर्षण शक्ति नियंत्रक के यहां से प्राप्त की जाएगी जो (रिमोट कण्ट्रोल के माध्यम से) इसे स्वयं करेगा या संबंधित उपस्कर के अंश को पृथक करने के लिए आवश्यक स्विच के संचालन का आदेश देगा। जब कर्षण शक्ति नियंत्रक को पुष्टि प्राप्त हो जाय कि स्विचों का संचालन ठीक ढंग से हुआ है, वह गुप्त संख्याओं का आदान – प्रदान करते हुए टेलीफोन संदेश देकर यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि बिजली उपस्कर को निष्क्रिय बना दिया गया है, प्राधिकृत व्यक्ति को सूचित करेगा। इस सूचना में कार्यानुमति का प्रावधान होगा। इस तरीके से कार्यानुमति केवल ऐसे ही प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी जो लाईनमैन से नीचे श्रेणी का न हो।

(ख) कार्यानुमति की प्राप्ति के बाद और कार्य आरंभ होने से पहले निर्धारित बिजली उपस्कर को प्रचलित नियमों के अनुसार भूयोजित किया जाएगा। प्रत्येक कार्यदल की रक्षा अलग – अलग भूयोजन द्वारा की जाएगी।

(ग) काम पूरा हो जाने के बाद वह व्यक्ति, जिसने कार्यानुमति प्राप्त की थी, यह सुनिश्चित करेगा कि बिजली उपस्कर और उसके अगल – बगल से सभी आदमी हट गये है और सामग्रियां हटा ली गई है। इसके बाद वह भूयोजनों को हटा देगा और कर्षण शक्ति नियंत्रक को लिखित ज्ञापन देकर या गुप्त संख्या का आदान – प्रदान करते हुए टेलीफोन संदेश देकर सूचित करेगा कि आदमियों और सामग्रियों को निर्धारित बिजली उपस्कर से हटा लिया गया है और उसे सक्रिय बनाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रकिया में कार्यानुमति को रद्द करने का प्रावधान शामिल होगा।

6. ***जब टेलीफोन अन्तर्वाधित हो तो कार्यानुमति स्थानीय रूप से रद्द करना*** *– यदि कर्षण शक्ति नियंत्रक के साथ टेलीफोन संचार अन्तर्वाधित हो जब कि कार्यानुमति को रद्द करना हो तो वह प्राधिकृत व्यक्ति जिसे कार्यानुमति जारी की गई थी, कार्यानुमति में बिजली कर्षण या ऊपरी उपस्कर के अंश को स्थानीय रूप से सामान्य (सक्रिय) दशाओं में लाने की और यदि संभव होगा, शक्ति अवरोध की रद्द करने की व्यवस्था करेगा।*

7. ***बिजली कर्षण या ऊपरी उपस्कर के एक ही अंश पर स्वतंत्र रूप से एक से अधिक दल का कार्य करना*** *– जब कभी एक से अधिक दल द्वारा काम किया जाना हो तो कार्यानुमति केवल कर्षण शक्ति नियंत्रक द्वारा ही किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी जो इस नियम के अन्तर्गत अकेले कार्यानुमति में निर्धारित बिजली उपस्कर के उस अंश पर सारे कार्य के लिए जिम्मेवार होगा। बिजली उपस्कर के उसी अंश पर कोई अतिरिक्त दल इस प्राधिकृत व्यक्ति की अनुमति से ही काम कर सकते है और वह बिजली उपस्कर में एक ही अंश पर काम करने वाले दलों को या दलों की कुल संख्या को सूचना देगा। प्राधिकृत व्यक्ति केवल उसी दशा में कार्यानुमति रद्द कर सकता है जब कि वह संतुष्ट हो जाय कि सभी कार्य करने वाले दलों के सभी आदमियों, सामग्रियों और भूयोजनों को हटा लिया है। टेलीफोन संचार अंतर्वाधित होने की अवस्था में जिम्मेवार व्यक्ति उपर्युक्त (6) में उपबन्ध के अनुसार कार्य करेगा।*

8. ***लॉग पुस्तिका में प्रविष्टियां*** *– जारी किए गए प्रत्येक कार्यानुमति की संख्या कर्षण शक्ति नियंत्रक की लॉग पुस्तिका में विवरण और समय के साथ कि उपस्कर कार्य करने के लिए कब निष्क्रिय किया गया और संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति के यहां से टेलीफोन पर प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य पूरा हो जाने पर उसे कब पुनः ऊर्जायुक्त बनाया गया, दर्ज किया जायेगा।*

9. ***लोको शेड के अन्दर कार्य*** *– लोको शेड के अन्दर किए जाने वाले काम के मामले में कार्यानुमति के लिए आवेदन कर्षण फोरमैन या सहायक कर्षण फोरमैन या चार्ज मैन (चल स्टाक) के पास दिया जाना चाहिए जो निरीक्षण के स्विच को या फीडरों को खोल देने के बाद कार्यानुमति जारी करने की व्यवस्था करेगा।*

10. ***स्थानीय अवरोध*** *– (क) सहायक स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर और अन्य यातायात के संचलन के लिए जिम्मेवार तथा ऐसी साइडिंग में शक्ति अवरोध जो मुख्य चालू लाईनों, लूप लाईनों और यार्डो में प्राप्ति या प्रस्थान लाईन पर गाड़ियों का संचलन प्रभावित नहीं करते, के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के साथ स्थानीय व्यवस्था की जा सकती है। फिर भी, कर्षण शक्ति नियंत्रक को उस*

से अवगत रखा जाएगा कि कब शक्ति अवरोध किया गया और कब रद्द किया गया। स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर और अन्य व्यक्ति ऐसे शक्ति अवरोध की सूचना नियंत्रक को भी देगें।

(ख) स्थानीय अवरोधों की व्यवस्था इस प्रयोजन के निमित्त विहित फार्म पर की जायेगी।

11. ***निष्क्रिय या भूयोजित ऊपरी लाईनों सहित पथ के सेक्शन को पार करने या उसके अन्दर बिजली चल स्टॉक का प्रवेश वर्जित करने के प्रक्रिया –*** *(क) बिजली चल स्टॉक को किसी पथ में जिस का ऊपरी उपस्कर निष्क्रिय कर दिया गया है या जिसके लिए कार्यानुमति जारी कर दी गई है प्रवेश करने या उसे पार करने से वर्जित करने के लिए बिजली चल स्टॉक के ऐसे संचलन को शासित करने वाले सिगनल केबिनों में सिगनलों और कांटों के लीवरों को लीवर कॉलर द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। यदि कांटा अथवा सिगनल स्थानीय रूप से परिचालित किए जाते हैं तो उनमें तालाबन्द करके स्टेशन मास्टर के पास चाभियाँ रख देनी चाहिए।*

(ख) कर्षण नियंत्रक से शक्ति अवरोध संदेश की प्राप्ति के बाद सेक्शन नियंत्रक सभी संबंधित स्टेशन मास्टरों और केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों को उसे दोहरा कर सुना देगा और समय का उल्लेख कर देगा कि कब से अवरोध आरंभ होगा। प्रत्येक स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर गुप्त संख्या और प्राप्ति का समय देते हुए संदेश की पावती देगा और इसे अभिलिखित करेगा और उसके बाद उल्लिखित समय से लाईन या लाईनों को बिजली यातायात के लिए अवरूद्ध करेगा और लीवर कॉलरों को बिजली कर्षण के लिए स्टेशन कार्य संचालन नियमावली के परिशिष्ट के अनुसार उचित लीवरों पर रखेगा। जब लीवर फ्रेम या अन्य सिगनल केबिन बिजली द्वारा स्टेशन मास्टर कार्यालय या सिगनल केबिन से नियंत्रित होते हों तो स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर बिजली स्लाइड यंत्रों के स्लाइड या बिजली ट्रांसमीटरों की चाभियों या अन्तर्पाशित चाभी बॉक्सों पर लीवर कॉलर रखेगा। स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर यह भी सुनिश्चित करेगा कि लीवरों पर लीवरमैन द्वारा लीवर कॉलर रख दिए गए है।

(ग) लीवर कॉलर तब तक हटाये नहीं जायेगें जब तक स्टेशन मास्टर या केबिन सहयक स्टेशन मास्टर सेक्शन नियंत्रक के यहां से शक्ति अवरोध को रद्द करने वाली गुप्त संख्या द्वारा समर्थित सूचना नहीं पा जाता, और उसकी पावती नहीं दे देता। सेक्शन नियंत्रक तब तक ऐसी कोई सूचना जारी नहीं करेगा जब तक उसे कर्षण शक्ति नियंत्रक से शक्ति अवरोध रद्द करने की लिखित सूचना या गुप्त संख्या द्वारा समर्थित टेलीफोन सूचना नहीं प्राप्त हो जाती।

टिप्पणी *:– इन सहायक नियमों के पैरा 5,10 तथा 11 के अन्तर्गत उल्लिखित सभी मामलों में स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी में सूचना अवश्य अभिलिखित करेगा ।*

12. ***बिजली कर्षण के लिए स्टेशन कार्य संचालन नियमावली*** *..... (क) अधिक संख्या में संभावित संचालन की दृष्टि से जो संयोग वश शक्ति अवरोध के अधीन किसी निष्क्रिय सेक्शन को ऊर्जायुक्त बना सकते है, विभिन्न तरह के सुरक्षात्मक उपाय जिन्हें स्टेशन मास्टर/ केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/ यार्ड मास्टर द्वारा विभिन्न सेक्टरों,, उप सेक्टरों या प्रारंभिक सेक्शनों से शक्ति अवरोध मंजूर करते समय उठाए जाने चाहिए, प्रत्येक स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमावली में सूचीबद्ध किये जायेगें।*

(ख) प्रत्येक स्टेशन को दिए गये स्टेशन कार्य संचालन नियमों में निम्नलिखित बाते रहेंगीः–

(i) सभी स्टेशनों द्वारा सामान्य रूप से पालन किए जाने वाले नियम;

(ii) यह प्रदर्शित करने वाला चार्ट कि प्रत्येक सेक्टर, उप सेक्टर या प्रारंभिक सेक्शन पर शक्ति अवरोध मंजूर करने के लिए कौन सी पूर्व सावधानियाँ बरती जानी है; और

(iii) ऊपर उल्लिखित चार्ट में बताये गए सिगनलों और कांटों की स्थिति सहित सेक्शन बनाने की व्यवस्थाओं के साथ – साथ तार लगाये हुए और बिना तार लगाये हुए पथों की दर्शाती हुई ड्राइंग।

13. ***बिजली यातायात के सिवाय अन्य संचालन*** *– बिजली इंजनों को छोड़कर अन्य के द्वारा खींची जाने वाली माल या सवारी गाड़ियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्क्रिय सेक्शनों से होकर गुजरने की अनुमति दी जा सकती है – (क) शक्ति अवरोध सूचना में खासतौर से यह निषेध नहीं किया गया हो।*

(ख) वाष्प या डीजल इंजन या ऐसे इंजन द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां उस स्टेशन/ सेक्शन के पहले के स्टेशन पर रोक दी जायेगी जहां पावर ब्लॉक की अनुमति दी गयी है तथा स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत

निरीक्षण के द्वारा अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेगा कि प्रश्नाधीन गाड़ी में कोई बिजली इंजन नहीं लगा है।

(ग) वह ऐसे इंजन या गाड़ी के चालक को यह चेतावनी देते हुए कि आगे शक्ति अवरोध है और हाथ सिगनलों पर निगरानी रखने का आदेश देते हुए सतर्कता आदेश भी देगा।

(घ) कोई भी स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को शक्ति अवरोध के अन्तर्गत सेक्शन पर चलने के लिए तब तक लाईन क्लीयर नहीं दे सकता या सिगनल नहीं 'ऑफ'' कर सकता जब तक पूर्ववर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर से उसे यह आश्वासन (गुप्त संख्या द्वारा समर्थित) नहीं मिल जाता है कि गाड़ी पर कोई बिजली इंजन या टावर वैगन पेण्टोग्राफ को उठाये हुए नहीं है।

(ड.) जब कभी किसी संचलन की अनुमति के लिए ''लाल चेतावनी कॉलर'' हटा लिया गया हो तो संचलन पूरा होने के बाद तुरंत इसे सिगनल नियंत्रण लीवर पर वापस लगा दिया जाएगा।

14. ***शक्ति अवरोध संदेश के लिए मानक फार्म*** *– जब कहीं शक्ति अवरोध लागू करना या इसे हटा लेना हो तो कर्षण शक्ति नियंत्रक और सेक्शन नियंत्रक के बीच सूचनाओं का आदान – प्रदान करने के लिए शक्ति अवरोध संदेश के मानक फार्म प्रयोग किए जायेंगे। यदि कर्षण शक्ति नियंत्रक और सेक्शन नियंत्रक अगल – बगल के कमरों में स्थित होगें तो संदेश दो प्रतियों में तैयार किए जायेंगे और दूसरे पक्ष को भेजे जायेंगे तथा कार्बन प्रति पर प्राप्त करने वाले पक्ष से पावती ले ली जाएगी। यदि वे दूर – दूर स्थित रहेंगे तो टेलीफोन पर संदेशों का आदान – प्रदान होगा और प्राप्तकर्ता संदेश को एक समरूप फार्म पर अभिलिखित करके पुष्टि के लिए प्राइवेट संख्या का आदान – प्रदान करते हुए इसे दोहरायेगा।*

17.05 कर्मचारियों तथा जनता की चेतावनी :–

1. सभी विद्युत उपस्करों को सदैव विद्युत आवेशित समझा जायेगा और परिणामस्वरूप वे मानव जीवन के लिए खतरनाक समझे जायेगें; सिवाय उन परिस्थितियों में जिनमें किसी विद्युत उपस्कर को विशेष अनुदेशों के अनुसार, विशेषतः निष्क्रिय (डेड) कर दिया गया है। कर्मचारियों और जनता को चेतावनी देने के लिए, ताकि वे समुचित सतर्कता बरतें, सभी खतरनाक स्थलों पर प्रमुख रूप में चेतावनी सूचनाएं (कॉशन नोटिसेज) लगा दी जायेगी।

2. ऐसी स्थिति के सिवाय, जब कि ऊपरी उपस्कर विशेष अनुदेशों के अनुसार निष्क्रिय और भूयोजित (डेड एंड अर्थड) कर दिया गया है, कोई व्यक्ति न तो किसी ऊपरी उपस्कर के नीचे अवस्थित इंजनों या टेंडरों पर और न ही सवारी डिब्बों या वैगनों की छत पर चढ़ेगा।

स. नि. 17.05 (1) विद्युतीकृत सेक्शनों में सवारी डब्बों में पानी देना :–

(i) यदि गाड़ियां ऊपरी कर्षण तार लगे हुए लाईनों पर खड़ी हो तो कोई भी व्यक्ति गाड़ियों की छतों पर तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक की ऊपरी कर्षण तार अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय और भूयोजित नहीं कर दिए जाते। (सा0 नि0 17.05(2))

(ii) ऐसी गाड़ियों के ऊपर ऊपरी कर्षण तार निष्क्रिय कर दिये जाने के बाद पानी देने के लिए गाड़ियों की छत पर चढ़ने वाला कोई भी कर्मचारी लम्बा डण्डा (पोल) या अन्य वस्तु जो निकटवर्ती लाईनों के ऊपर कर्षण तारों के खतरा क्षेत्र के अंदर पहुंच सकती है, नहीं ले जायेगा। वे पानी के होजी को या अपने शरीर के किसी अंग को सक्रिय ऊपरी कर्षण तारों के खतरा के क्षेत्र के अंदर नहीं बढ़ायेंगे या पानी की धार उस दिशा में नहीं करेंगे।

(iii) पृथक्करण के प्रयोजन तथा ऊपरी उपस्कर के भूयोजन के लिए प्रत्येक प्लेटफार्म के लिए जल देने की व्यवस्था के ऊपर लगे तारों से एक अलग प्रारंभिक सेक्शन बनेगा अर्थात विभिन्न प्लेटफार्म के विभिन्न जल देने वाले सेक्शन होंगे। प्रत्येक जल देने वाले सेक्शन की सीमा को खतरा सीमा बोर्डो द्वारा चिन्हित किया जायेगा। यह ऐसी सीमा गठित करता है जिसके अन्दर गाड़ियों को जल देने का काम किया जा सकता है। अलग अवरोधक या पृथक्कारकों की व्यवस्था प्रत्येक जल देने वाले सेक्शन में आपूर्ति – नियंत्रण के लिए की जाएगी। ऐसे अवरोधकों/ पृथक्कारकों की चाभियां धातु निर्मित टैगों में लगी रहेंगी जिनपर अवरोधकों/ पृथक्कारकों की संख्यायें पंच की हुई होंगीं। प्रत्येक जल देने वाले सेक्शन के दोनों छोरों पर लगभग 12 मीटर लम्बे निरावेशित सेक्शनों की व्यवस्था रहती है।

(iv) जल देने वाले सेक्शन में बिजली बन्द करने के लिए अवरोधकों/ पृथक्कारकों बाड़ों की चाभियां, जो कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत संरक्षण में सामने शीशा लगे चाभी बॉक्स में तालाबंद करके रखी जाती है, किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही ली जायेंगी जो लाईनमैन से नीचे स्तर का नहीं होगा।

इसके बाद जल देने वाले सेक्शन को निष्क्रिय तथा भूयोजित कर दिया जायेगा । संबंधित जल देने वाले सेक्शन की कार्यानुमति चाभी जल देने के प्रभारी सेक्शन इंजीनियर (सी. एंड. डब्ल्यू) को हस्तातंरित कर दिया जायेगा जो व्यक्तिगत रूप से जांच करेगा कि उसके द्वारा प्राप्त चाभी पर ठीक संख्या अंकित है और यह उसी जल देने वाले सेक्शन से संबंधित है जिस पर जल लेने वाली गाड़ियां खड़ी है। सेक्शन इंजीनियर (सी. एंड. डब्ल्यू) प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी जल देने वाले सेक्शन के भीतर खड़ी है जो ऊपरी उपस्कर पर लगे खतरा सीमा बोर्ड द्वारा सीमाबद्ध है। उसके पश्चात् वह पीली झण्डियां (रात्रि में पीली बत्तियां) गाड़ी के प्रत्येक छोर पर लगाने की व्यवस्था करेगा। उसी समय वह अपने आदमियों में से प्रत्येक को, जिन्हें गाड़ी के छत पर चढ़ना है, उसे प्रारंभिक सेक्शन के लिए आख्यान और विवरण वाले नम्बर बैज देगा।

(V) *सवारी डिब्बों में पानी देने का काम समाप्त हो जाने और सेक्शन इंजीनियर द्वारा (सी एंड डब्लू) कर्मचारियों के नीचे उतर जाने के बाद कार्यानुमति चाभी लाइन मैन को वापस दे दी जाएगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपरी उपस्कर को शक्ति आपूर्ति पुनः दी जाएगी।*

2. ***केबुल तारों के पास काम करना*** *:– (क) जब किसी विद्युतीकृत क्षेत्र में मार्गो और केबुल तार के रास्तों के समीप खुदाई का काम हो रहा हो तो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तथा भूमिगत केबुल तारों और पटरी बंधों को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त पूर्व सावधनता बरती जानी चाहिए।*

(ख) जहां कहीं संभव हो सूचक केबुल की सीधाई में रख दिये जाते है और सामान्यतः गड़े हुए केबुलों की स्थिति का संकेत देने वाले प्लान उपलब्ध है। केबुल मार्गों के पार्श्व में खोदने का काम अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए जब तक केबुलों की ठीक – ठीक स्थिति का निश्चय नहीं हो जाता और संबंधित विभाग का कोई प्रतिनिधि उपस्थित न हो। यह डाक और तार विभाग के केबुलों पर भी लागू होता है।

(ग) *यदि परिस्थितिवश यह अनिवार्य हो जाय कि बिना पर्याप्त सूचना के ही काम शुरू करना पड़े तो संबंधित सहायक बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण)/ सहायक सिगनल तथा दूरसंचार इंजीनियर को टेलीग्राम द्वारा वहां उपस्थित रहने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निमित्त सूचना दी जाएगी।*

3. ***चल स्टाक की छतों पर काम करना*** *:– (क) स्टेशनों और यार्डो में ऊपरी उपस्कर को निष्क्रिय बनाने के लिए और भूयोजित करने की व्यवस्था कोई प्राधिकृत व्यक्ति करेगा और चल स्टाक या इंजनों की छत पर काम शुरू किये जाने से पहले संबंधित कर्मचारी द्वारा कार्यानुमति कार्ड प्राप्त किया जायेगा। कार्य पूरा हो जाने पर कार्ड प्राधिकृत व्यक्ति को रद्द करने के लिए वापस कर दिया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति उसके बाद, स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि प्रत्येक वस्तु क्रम में है और ऊपरी उपस्कर को फिर ऊर्जा युक्त करने से पहले सभी कर्मचारियों को हटा लिया गया है।*

(ख) *कर्षण इंजन परीक्षक या अन्य प्रभारी प्राधिकृत व्यक्ति लोको शेड, ई एम यू कार शेड और गाड़ी खड़ी करने की साइडिंग में बिजली चल स्टाक के छत पर किये जाने वाले कार्य की अनुमति देने से पहले निरीक्षण लाईनों के मार्गों के ऊपर ऊपरी उपस्कर को निष्क्रिय बनाने के लिए जिम्मेवार होगा। इन मार्गों पर उपरी उपस्कर प्रभारी प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य द्वारा ऊर्जायुक्त नहीं किए जाएंगे जो प्रत्येक पूर्व सतर्कता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगा कि प्रत्येक चीज क्रम में है और उपस्कर को ऊर्जायुक्त करने से पहले सभी कर्मचारियों को हटा लिया गया है ।*

4. ***सामान्य पूर्व सतर्कतायें*** *:– यह सुनिश्चित करने के लिए कि टैंक वैगन के ढक्कन, वाष्पकेनों के फनेल और ऐसी अन्य मदें ऐसी स्थिति में न छोड़ी जाये कि कर्षण ऊपरी उपस्कर के साथ उल्लंघन हो जायें, सावधानी बरती जायेंगी।*

5. ***कर्मचारी द्वारा सतर्कता बरतना:–*** *औजारों के सभी प्रकार के मापनेवाले टेप और मेटल आर्टिकल (जैसे पेंट का बरतन, तेल केन, मेटल बार) व्यवहार में नहीं लाए जाएगें जहां वे शिरोपरी उपस्कर पर तेज हवा के द्वारा चढ़ाए जा सकते हैं या गिराये जा सकते है या ले जाए जा सकते हैं, जब ऐसे शिरोपरी उपस्कर सक्रिय हों ।*

17.06 रेल पथ में परिवर्तन– विद्युतीकृत रेल पथ के संरक्षण (एलाइनमेण्ट) अथवा सतह में किसी तरह का परिवर्तन करने से पहले, ऊपरी उपस्कर के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अपेक्षित सूचना दी जायेगी जिससे कि ऊपरी उपस्कर नई स्थितियों के अनुरूप समायोजित किए जा सकें।

स. नि. –17.06 (1) :–(क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैदल ऊपरी पुलों, सड़क ऊपरी पुलों और अन्य ऊपर लाईन संरचनाओं के नीचे पटरी का तल ऐसी संरचनाओं के नीचे चिन्हित तल से अधिक नहीं है।

(ख) जब कभी रेल पथ पर किया जाने वाला कोई कार्य जिससे पटरी बन्धों के प्रभावित होने की संभावना है, स्थायी पथ कर्मचारियों द्वारा आरंभ किया जाये तो कर्षण फोरमैन (ऊपरी उपस्कर) को पर्याप्त सूचना दी जाएगी ताकि वह बन्धों को हटाने और पुनः स्थापित करने के लिए बांडिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करने में समर्थ हो सके।

(ग) मार्ग पर काम करते समय स्थायी पथ कर्मचारी ए सी कर्षण मैनुअल के IX अध्याय में दिये गए संरक्षा नियमों का पालन करेंगे।

(घ) स्थायी पथ निरीक्षक के साथ काम करते समय बांडिंग कर्मचारी स्थायी पथ निरीक्षक के आदेशों के अधीन काम करेंगे जो रेल पथ और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उस समय जिम्मेवार रहेगा।

2. ***ऊपरी उपस्कर का परिवर्तन*** *– (क) ऊपरी उपस्कर के सभी छोटे मोटे परिवर्तनों, स्थायी हों या अन्यथा, की सूचना टेलीफोन पर तुरंत कर्षण शक्ति नियंत्रक को और मंडल बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) को या सहायक बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) को लिखित रूप में दी जाएगी।*

(ख) ऊपरी उपस्कर के किसी सेक्शन के वर्तमान क्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख परिवर्तन तब तक नहीं किए जाएगें जब तक मंडल बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) की स्वीकृति नहीं मिल जाती।

(ग) किसी ऊपरी उपस्कर में कोई ऐसा परिवर्तन या जोड़ नहीं किया जाएगा जो मानक आयाम का अतिलंघन करता हो, चाहे यह स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से। यदि कोई अतिलंघन अनिवार्य हो तो तुरंत मंडल बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) को सूचित करना चाहिए।

(घ) ऊपरी उपस्कर पर कार्य करते समय प्रत्येक कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि तार मार्गच्युत नहीं हुए है जिससे दूसरी लाईनों पर गुजरते हुए बिजली चल स्टाक पेण्टोग्राफ के लिए यह सुनिश्चित हो जाये कि स्थायी आर्म ट्यूबों या ऊपरी उपस्कर के अन्य किसी अंश से उलझते नहीं हैं।

(ड.). जब ऊपरी उपस्कर को अस्थायी या स्थायी रूप से मोड़ दिया जाय तो प्रभारी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सेक्शन निसंवाहक, जम्पर, दूरी तथा अन्य फिटिगें अन्य लाईनों पर गुजरने वाले बिजली चल स्टॉक के पेण्टोग्राफ से नहीं उलझेगें।

3. ***निरावेशित सेक्शनों के पास गति प्रतिबंध*** *– (क) स्थायी पथ या कर्षण वितरण कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर आने वाली गाड़ी की दिशा में ऊपरी उपस्कर निरावेशित सेक्शन के 1 कि0 मी0 की दूरी के भीतर गति प्रतिबन्ध लागू नहीं किये जायेगें।*

(ख) जब ऐसे प्रतिबंध लगा दिये जायें तो निम्न प्रयत्न किये जाने चाहिए –

(i) *गति प्रतिबन्ध लगाया जाय जो 15 कि0 मी0 प्र0 घं0 से कम न हो।*

(ii) *प्रतिबन्ध न्यूनतम सेक्शन तक सीमित रखा जाये।*

(ग) तटस्थ सेक्शन में पहुंचने की दिशा में यदि रोक पताका लगानी है तो ऐसी रोक पताका सामान्यतः तटस्थ सेक्शन से पहले इतनी दूरी पर प्रदर्शित की जानी चाहिए जो 1 कि0 मी0 से कम न हो। तटस्थ सेक्शन के 500 मीटर और 250 मीटर बोर्डों के बीच कोई रोक पताका प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।

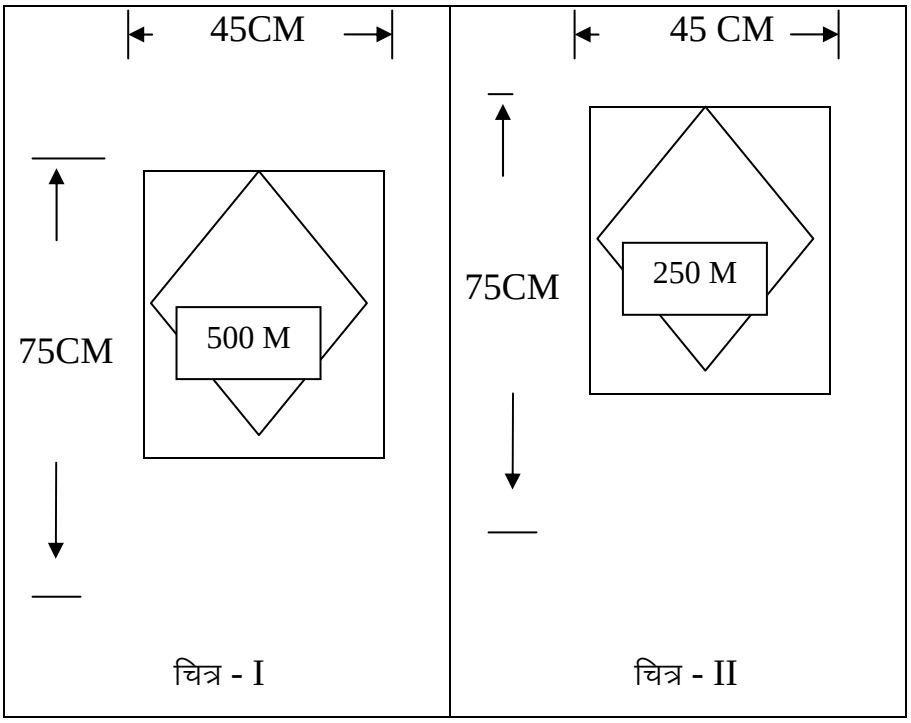
17.07. निराबेशित (न्यूट्रल) सेक्शनों में रेल इंजनों और विद्युत बहु यूनिटों के सर्किट ब्रेकर्स का ट्रिप हो जानाः–

यदि विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है तो रेल इंजन अथवा विद्युत बहु यूनिटों के ड्राइवर, शक्ति स्विच समुचित रूप से ऑफ करके निरावेशित (न्यूट्रल) सेक्शन को पार करेंगे। शक्ति ''ऑफ'' करने और ''ऑन'' करने के लिए ड्राइवर के मार्ग दर्शन के लिए इस आशय के आवश्यक संकेत – बोर्ड लगाए जायेगे।

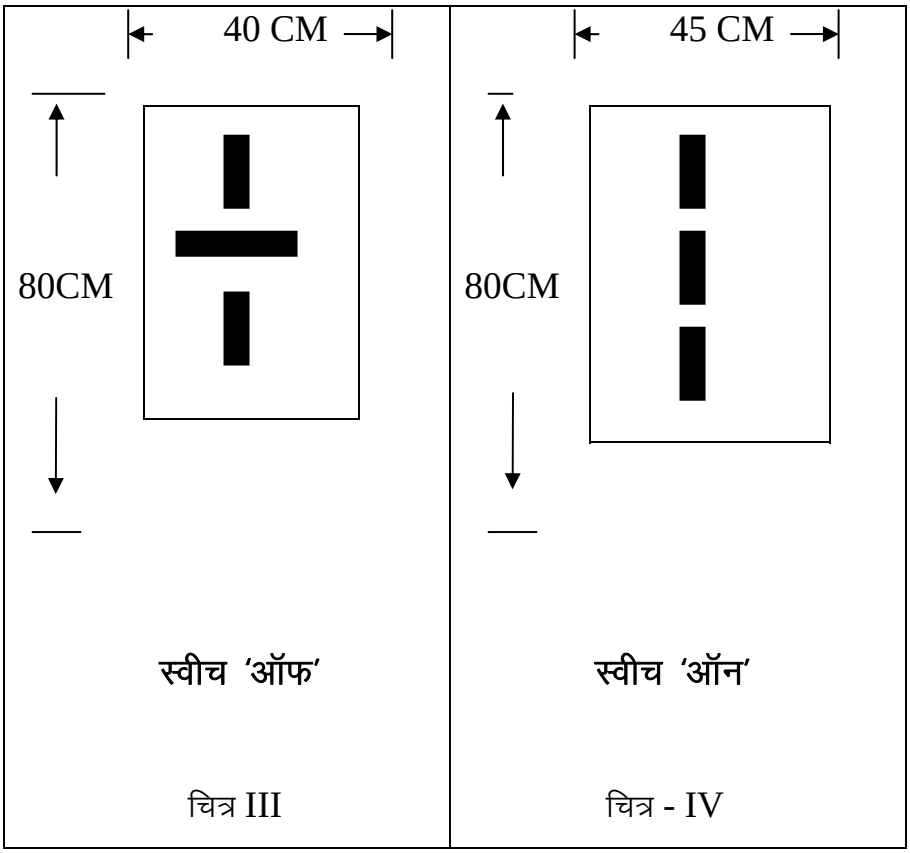
*स. नि. 17.07 तटस्थ सेक्शनों के लिए चेतावनी बोर्ड – चालक को सूचित करने के लिए कि वह तटस्थ सेक्शन में पहुंच रहा है ताकि स्विच बन्द करने के लिए तैयार हो जाय, ड्राइंग सं0 (चित्र **I** तथा **II**) के*

अनुसार चेतावनी सिगनल तटस्थ सेक्शन के आगे 500 मी0 और 250 मीटर पर लगा दिया जाएगा। जिस स्थल पर बिजली का स्विच बन्द करना है वहां एक अन्य सिगनल की व्यवस्था की जायगी। यह संकेत देने के लिए कि तटस्थ सेक्शन समाप्त हो चुका है और चालक द्वारा बिजली का स्विच चालू किया जा सकता है, ड्राइंग सं0 (चित्र IV) के अनुसार एक अन्य सिगनल की व्यवस्था की जायेगी।

न्यूट्रल सेक्शन के लिए चेतावनी



चित्र - I चित्र - II



17.08. **टावर वैगन** – टावर वैगन के संचालन और परिचालन के नियम विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किये जाएगें।

स. नि. 17.08–

(i) *टावर वैगनों को गाड़ियों के समान समझा और संचालित किया जाएगा। टावर वैगनों को लेने, भेजने, शंटिंग करने और खड़ा करने के लिए गाड़ियों के परिचालन के लिए प्रचलित सारे नियम लागू होंगे।*

(ii) *टावर वैगन के चालक संरक्षा संवर्ग के अर्न्तगत आएगें तथा 'ए' मेडिकल श्रेणी के होंगे,तथा उनके सक्षमता प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि 3 वर्षो की होनी चाहिए। गाड़ी के चालकों के समान उनके पुनश्चर्या कोर्स, संरक्षा कैम्प तथा आवधिक चिकित्सा परीक्षा की अवधि विस्तार होगी। पुनश्चर्या कोर्स के प्रशिक्षण में टावर वैगन का संचालन एवं अनुरक्षण शामिल होगा।*

(iii) *टावर वैगनों की शंटिंग के लिए प्वाइंट मैनों द्वारा कांटे सेट किये जायेंगे।*

(iv) *टावर वैगन लाईन पर खराब हो जाने के मामले में बिजली चार्ज मैन या उसकी अनुपस्थिति में टावर वैगन में उपस्थित प्रवरतम कर्मचारी सा.नि. 6.03 के अनुसार खतरा सिगनल दिखाकर और पटाखा सिगनल आदि रख कर इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। जब टावर वैगन कर्षण वितरण कर्मी दल के बिना चल रहा हो और लाईन पर खराब हो जाय तो टावर वैगन के चालक द्वारा इसकी सुरक्षा की जाएगी।*

(v) *जब टावर वैगन इकहरी लाईन सेक्शन में चल रहा हो तो ''आगे बढ़ने का प्राधिकार'' टोकेन टेबलेट या पेपर लाईन क्लीयर टिकट होगा।*

(vi) *जब टावर वैगन दोहरी लाईन सेक्शन पर चल रहा हो या टोकेनलेस ब्लॉक यंत्र बाले इकहरी लाइन पर चल रहा हो तो यह अनिवार्य रूप से लाईन क्लीयर पर ही आगे बढ़ेगा।*

(vii) *''लॉक एवं ब्लॉक'' सेक्शन में टावर वैगन जो ट्रेडल संचालित करने में विफल हो जाते हैं, के संचालन की क्रिया विधि निम्न होगी :–*

(क) टावर वैगन प्रेषित करने वाला स्टेशन अग्रिम स्टेशन से अवश्य अनुमति प्राप्त करेगा और टावर वैगन प्रेषित करने के लिए ऐसी अनुमति की पुष्टि गुप्त संख्या द्वारा की जायेगी।

(ख) कर्षण शक्ति नियंत्रक से गुप्तांक का आदान प्रदान करने के अतिरिक्त सेक्शन इंजीनियर (टी.आर.डी.) को संबंधित सस्टेमा/स्टेमा द्वारा उन्हें स्वीकृत किये गये पावर तथा ट्राफिक ब्लॉक का पूर्ण व्यौरा देते हुए एक मेमो भी जारी किया जाएगा।

(ग) टावर वैगन द्वारा ट्रेडल, ट्रैक सर्किट ब्लॉक यंत्र को संचालित करने में विफल हो जाने के मामले में जैसा कि सेक्शन इंजीनियर (टी.आर.डी.) द्वारा प्रमाणित किये जाएं ब्लॉक यंत्र की सूई घुमाकर सीधे ''गाड़ी लाइन पर है'' स्थिति में कर दिया जाएगा जैसा कि सेक्शन के ब्लॉकिंग फारवार्ड या 'ब्लॉकिंग बैक' के मामले में किया जाता है।

(घ) (i) टावर वैगन के 'ब्लॉकिंग फारवार्ड' या 'ब्लॉकिंग बैक' पर बढ़ने की दशा में जब अंतिम रोक सिगनल को ऑफ करना संभव न हो तो टी/409 प्रस्थान का प्राधिकार होगा । तथापि, जब यह सिगनल खराब हो तो टी/369 (3बी) भी जारी किया जाएगा। बाद वाले मामले में जब प्रस्थान सिगनल ही स्टेशन का अंतिम रोक सिगनल हो तो खराब सिगनल के नीचे से ही हाथ सिगनल प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) *टावर वैगन को भेजने से पहले, स्टेशन मास्टर द्वारा फार्म टी/409 पर सतर्कता आदेश अवश्य जारी किया जाएगा जिसमें टावर वैगन द्वारा ब्लॉक सेक्शन में पालन किए जाने वाले वैधानिक खण्डीय सावधानियां एवं गति का वर्णन किया जाएगा। यदि एक से अधिक टावर वैगन एक ही समय में भेजा जाता है तो दो टावर वैगन के बीच न्यूनतम 120 मीटर की दूरी बनाए रखने हेतु स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा।*

(ड.) टावर वैगन के अगले स्टेशन पर पहुंचने पर तथा पिछले ब्लॉक खण्ड को साफ करने के बाद केबिन मैन/सस्टेमा पिछले ब्लॉक खण्ड के साफ हो जाने के आश्वासन स्वरूप एक गुप्तांक पिछले स्टेशन को देगा और जबतक ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक कोई भी गाड़ी इस सेक्शन में नहीं भेजी जाएगी।

(च) टावर वैगन के पर्यवेक्षक/अन्य प्रभारी कर्मचारी स्टेशन पर गाड़ी रोक देगें जहां अगले सेक्शन में कार्य प्रारम्भ करना है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर को कार्य की अवधि तथा स्टेशन जहां कार्य की समाप्ति के पश्चात टावर वैगन जाएगा को शामिल करते हुए कार्य का सम्पूर्ण विवरण देकर एक लिखित मेमो सौंपेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर संबंधित स्टेशन से गुप्तांक के आदान–प्रदान के अधीन लाइन क्लियर प्राप्त करेगा। टावर वैगन के चालक को टी/409 जारी किया जाएगा।

(छ) कंट्रोल विफलता के मामले में स्टेशन मास्टर दूसरे ब्लॉक स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। कार्य की समाप्ति के पश्चात जब टावर वैगन उसी स्टेशन पर लौट रहा हो तो विपरीत दिशा के अंतिम रोक सिगनल के पास अथवा समान दिशा के प्रथम रोक सिगनल के सामने दोहरी लाइन खण्ड पर रूकेगा जहां से इसे स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित प्राधिकार पर एवं पायलट करके आगमन (रिसीव) किया जाएगा। इकहरी लाइन के मामले में टावर वैगन आवश्यक सिगनलों को 'ऑफ' करके आगमन (रिसीव) किया जाएगा।

(viii) *सेक्शन में टावर वैगन के कार्य के लिए प्रवेश करने के पश्चात इसे किसी प्रकार के बैनर फ्लैग, पटाखों इत्यादि के द्वारा रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्टेशन मास्टर ट्राफिक ब्लॉक के अधीन सेक्शन में गाड़ी प्रवेश के विरूद्ध आवश्यक बचाव करेगा।*

(ix) *शिरोपरी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु अनुभव किया जाता है कि अधिक टावर वैगनों की आवश्यकता है तो इसकी अनुमति उसी सेक्शन में दी जा सकती है। ऐसे मामले में केबिन सहायक स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेंगें कि बाद में जानेवाले टावर वैगनों के चालक को ब्लॉक खण्ड में सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु सतर्कता आदेश जारी किया गया है। सहायक स्टेशन मास्टर यह भी सुनिश्चित करेगें कि कार्य समाप्ति पर सभी टावर वैगन द्वारा ब्लॉक खण्ड साफ कर दिया है।*

(x) *ट्रैक्शन संबंधी कार्य निष्पादन हेतु एक ही ब्लॉक खण्ड में एक से अधिक टावर वैगन के संचालन के लिए दो टावर वैगनों के बीच 120 मीटर की न्यूनतम दूरी अवश्य बनाए रखा जाएगा तथा यह सतर्कता आदेश में विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए।*

(xi) ए.सी. ट्रैक्शन मैनुअल के अनुसार टावर वैगन की ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम गति प्रतिबंधित की जानी चाहिए।

17.09 विद्युतीकृत सेक्शनों के लिए अतिरिक्त नियम :–विद्युतीकृत सेक्शनों में गाड़ियों के संचालन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष अनुदेश अधिसूचित किए जाएगें।

*स.नि.17.09 (1) **बिजली का झटका (शॉक):–***

(क) बिजली की झटका लगे हुए व्यक्ति के उपचार संबंधी अनुदेश सभी आपूर्ति नियंत्रण पोस्ट, उपरी उपस्करों, अनुरक्षण डिपों, टावर वैगन शेडों, लोको शेडों और सिगनल केबिनों पर प्रदर्शित किए जाएगें।

(ख) बिजली का झटका लग जाने पर होश में लाने के लिए बताए गए उपचार तुरंत किए जाएगें।

(ग) उपर उप नियम (क) में वर्णित सभी स्थलों पर निकटतम रेलवे और सिविल डाक्टरों तथा अस्पतालों के नाम और टेलीफोन नम्बर भी प्रदर्शित किए जाएगें।

(2) बिजली चल स्टाक का निरीक्षण:– *बिजली चल स्टाक का निरीक्षण सावधिक रूप से ए.सी. कर्षण मैनुअल तथा समय–समय पर रेल प्रशासन द्वारा जारी किये गये अन्य अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।*

(3) उच्च बोल्टता वाले उपस्कर का पृथक्करण:– *(क) बिजली इंजनों और मोटर कोचों में प्रस्थापित उच्च बोल्टता वाले उपस्कर इस प्रकार व्यवस्थित किये जायेगें कि किसी अप्राधिकृत व्यक्ति का इन तक पहुंच पाना संभव नहीं हो।*

(ख) उच्च तनाव (हाई टेंशन कंपार्टमेंट) कक्ष में तब तक पहुंच पाना संभव नहीं होगा जबतक बिजली के स्वीच बंद नहीं कर दिये जाते और पैण्टोग्राफ झुका नहीं दिया जाता।

***(4) बालू भरी कैच साइडिंग** : (i) बालूभरी कैच साइडिंगों में उपरी लाइनों से बाहर 70 फीट की लम्बाई तक पटरियों को बालू से क्लियर रखा जाएगा। बालू टीलों (सैंड हम्प) पर यह लागू नहीं होगा।*

(ii) यदि कोई बिजली इंजन या कोई ई. एम. यू. कैच साइडिंग की बालूभरी दूरी के अंदर चली जाती है और यदि इसके पैण्टोग्राफ उपरी उपस्कर को स्पर्श कर रहे हैं तो ई. एम. यू./बिजली इंजन बॉडी और संबद्ध वाहनों, यदि कोई हो के अधिक विद्युत्मात्रा प्राप्त करने की संभावना रहती है, यदि ये पटरियों से विसंवाहित हों। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित कार्रवाई की जायगी –

(क) कोई भी व्यक्ति, स्थाई पथ रचना और चल स्टॉक बॉडी के बीच किसी प्रकार संपर्क करने या प्रवेश करने या हटने का चेष्टा नहीं करेगा।

(ख) चालक तुरंत पेण्टोग्राफ नीचे करेगा और इंजन / ई एम यू में तबतक रूका रहेगा जबतक उस स्थल पर कर्षण वितरण कर्मचारियों की व्यवस्था स्टेशन मास्टर द्वारा नहीं कर दी जाती और चल स्टॉक बॉडी विद्युत प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाती।

***(5) क्रेनों का संचालन** : (क) कोई भी वाष्पचालित या हस्तचलित क्रेन उपरी उपस्कर से संलग्न नहीं चलाई जाएगी जबतक उपरी उपस्कर को निष्क्रिय करके भूयोजित नहीं कर दिया जाता। क्रेन के जिब के सभी संचालन सावधानी से नियंत्रित किये जायेगें ताकि ये कर्षण उपरी उपस्कर से नहीं उलझे। जहां संभव हो क्रेन फनेल से उपरी उपस्कर तक और विशेष रूप से सेक्शन विसंवाहकों तक सीधे झोंका का परिहार (एक्वाईड) किया जायेगा।*

(ख) अपात स्थिति के अलावा उपरी उपस्कर के समीप संलग्न क्रेन को संचालित करने की 24 घंटे की नोटिस मंडल बिजली इंजीनियर (कर्षण वितरण) को दी जाएगी ताकि उपरी उपस्कर कर्मचारियों की व्यवस्था की जा सके। जब संभव हो, क्रेनों का संचालन सहा0नि0 17.04(4) में वर्णित साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। अपात स्थिति में कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचना दी जाएगी और वह उपरी उपस्कर कर्मचारियों से सहायता की व्यवस्था करेगा।

(ग) जबतक उपरी उपस्कर कर्मचारी उपस्थित न हों कर्षण उपरी उपस्कर के समीप क्रेन संचालित नहीं की जायेगी।

***(6)** जब कभी स्टेशन कर्मचारी गाड़ी के चलने की अवधि में कोई असामान्यता देखता है तथा सामान्य नियम और सहायक नियम के अनुसार ऐसे गाड़ी को सामान्य तरीके से रोकने में वे असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें तत्काल कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचित करते हुए शिरोपरी उपस्कर की उर्जा आपूर्ति का स्वीच ऑफ करने का कदम अवश्य उठाना चाहिए।*

(7)शिरोपरी उपस्कर में फॉल्ट ट्रीपींग/नो टेन्शन के मामले में कर्षण शक्ति नियंत्रक, सेक्शन नियंत्रक और स्टेशन मास्टर के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :–

(क) फाल्ट पृथक्करणः–

(i) किसी विद्युतीकृत सेक्शन में शिरोपरी उपस्कर विफलता के मामले में कर्षण शक्ति नियंत्रक अविलंब फाल्टी सेक्शन को चिन्हित तथा लोकलाइज करेगा तथा उसे पृथक करेगा। दोहरी एवं बहुलाइन खण्डों के मामलों में वह पार्श्ववर्ती ट्रैक पर समान मार्ग दूरी का दोषहीन सेक्शन फॉल्टी सेक्शन की तरह ही पृथक करेगा। कर्षण शक्ति नियंत्रक उसके बाद सेक्शन नियंत्रक को लिखित में या गुप्तांक का आदान प्रदान कर फोन पर सेक्शन के फॉल्टी पाने एवं दोषहीन सेक्शन अस्थाई रूप से पृथक कर दिया गया है, सूचित करेगा।

(ii) कर्षण शक्ति नियंत्रक से सूचना प्राप्त होने पर सेक्शन नियंत्रक निम्न प्रकार कर्यवाही करेगाः–

(क) पृथक किए गए सेक्शन के दोनों छोर के स्टेशनों के स्टेशन मास्टर को आपात पावर ब्लॉक के अधीन जैसा ही फाल्टी सेक्शन को मानने तथा तदनुसार कारवाई के लिए गुप्तांक का आदान प्रदान करके खण्ड नियंत्रक द्वारा सूचित किया जाएगा।

(ख) दोहरी लाइन सेक्शन पर अस्थायी रूप से पृथक किए गए दोषहीन सेक्शनः–

सेक्शन नियंत्रक जांच करेगा कि क्या कोई गाड़ी फॉल्टी सेक्शन में प्रवेश कर चुकी है। यदि नहीं, तो वह संबंधित स्टे0मा0 को अप्रभावित खण्ड पर प्रवेश करनेवाली पहली गाड़ी के चालक को सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा कि यदि ओ. एच. ई. में कुछ असामान्य है, को देखने के लिए पार्श्ववर्ती लाइन/लाइनों पर चौकस निगाह रखें''। अगले स्टेशन पर पहुंचने पर, चालक को रिपोर्ट करना चाहिए कि सेक्शन जिस पर वे पास किए है वह गाड़ी परिचालन के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। सेक्शन नियंत्रक लिखित में कर्षण शक्ति नियंत्रक को दोषहीन सेक्शन को पुनः उर्जावेशित करने हेतु सूचित करेगा जिसे अस्थाई रूप से पृथक किया गया था।

(ग) फिर भी, यदि कोई गाड़ी फॉल्टी सेक्शन में प्रवेश कर चुकी हो, तो गुप्तांक के आदान प्रदान के अधीन, सेक्शन नियंत्रक, फॉल्टी सेक्शन पर गाड़ी संचालन से संबंधित तथा सेक्शन जिसके दोषहीन शिरोपरी उपस्कर अस्थाई तौर पर पृथक कर दिए गए हैं के भी सभी स्टेशन मास्टरों को सूचित करेगें कि वे किसी गाड़ी को प्रभावित ब्लॉक खण्ड में तबतक प्रवेश की अनुमति नहीं देगें जबतक कि इस संबंध में अप्रभावित सेक्शन के प्रथम गाड़ी के चालक एवं गार्ड को सतर्कता आदेश जारी न कर दिया गया हो।

(i) दिन में जब आगे की दृश्यता साफ हो तो अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए ऐसे गति से आगे बढ़े जो 60 कि0मी0प्र0घं0 से अधिक न हो तथा रात्रि में 30 कि0मी0प्र0घ0 से अधिक न हो।

(ii) सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी अवरोध की दशा में रूकने के लिए तैयार रहते हुए जो पार्श्ववर्ती लाइन/लाइनों से अतिलंघन के कारण हो सकता है तथा पार्श्ववर्ती लाइन/ लाईनों पर यह देखने के लिए भी सर्तक दृष्टि रखें कि कहीं शिरोपरी उपस्कर में कुछ असमान्य है। अगले स्टेशन पर पहुंचने पर यह रिपोर्ट करें कि सेक्शन जिसपर वे पास किए है वह गाड़ी परिचालन के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं।

(iii) केवल यह कार्यवाही करने के बाद ही सेक्शन नियंत्रक लिखित में कर्षण शक्ति नियंत्रक को सूचित करेगा कि गाड़ी की संरक्षा सुरक्षित करने हेतु आवश्यक पूर्वोपाय कर ली गई है। तब कर्षण शक्ति नियंत्रक दोषहीन सेक्शन के फीड को पूर्व स्थिति में करेगा जिसे अस्थाई रूप से पृथक किया गया था।

(iv) चालक तथा गार्ड से रिपोर्ट मिलने के बाद कि सेक्शन अवरोध से साफ है, सेक्शन नियंत्रक द्वारा स्टेशन मास्टर से संपर्क करके गति प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही किया जायेगा। गाड़ी के चालक/गार्ड की रिपोर्ट को सेक्शन नियंत्रक द्वारा कर्षण शक्ति नियंत्रक को भी यह बताते हुए कि केवल अतिलंघन है अथवा शिरोपरी उपस्कर में असमान्य है, या नहीं, सूचित किया जायेगा। बाद वाली गाड़ियों को सेक्शन में प्रवेश की अनुमति केवल सेक्शन नियंत्रक की अनुमति से ही दी जाएगी तथा उपरोक्त (ग)(i) के अनुसार गति प्रतिबंध एवं अन्य पूर्व सावधानियां स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए सतर्कता आदेश देना जारी रखा जाएगा तबतक जबतक कि गति प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय नहीं ले लिया जाता है।

(8) *विद्युत कर्षण के गाड़ी में किसी असामान्य स्थिति में शिरोपरी उपस्कर आपूर्ति के 'स्वीचींग ऑफ' के आवश्यक होने की स्थिति में कर्षण शक्ति नियंत्रक एवं सेक्शन नियंत्रक के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वः–*

(i) जैसे ही कर्षण शक्ति नियंत्रक की जानकारी में विद्युंत कर्षण पर किसी गाड़ी के परिचालन में असुरक्षित दशा के बारे में जानकारी मिलती है तो वह तत्काल संबंधित सब– सेक्टर के दोनों लाइनों के शिरोपरी उपस्कर आपूर्ति का स्विच 'ऑफ' कर देगा । तब कर्षण शक्ति नियंत्रक लिखित में सेक्शन नियंत्रक को सेक्शन जिसमें शिरोपरी उपस्कर का स्विच ऑफ कर दिया गया है के बारे में सूचित करेगा।

(ii) कर्षण शक्ति नियंत्रक से सूचना प्राप्त होने पर, सेक्शन नियंत्रक गुप्तांक के आदान प्रदान के अधीन सभी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को, जो प्रभावित सेक्शन में गाड़ी के संचालन से संबंधित है, यह सूचित करेगा, कि मृत (डेड) सेक्शन को ऐसा मान कर चलें कि यह आपातकालीन पावर ब्लॉक के अधीन है तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी गाड़ी को सेक्शन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।

(iii) दोषहीन सेक्शन का अस्थाई पृथक्करण :–

स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी को प्रभावित सेक्शन के दोषहीन लाइन पर भी प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक अप्रभावित सेक्शन के पहली गाड़ी के चालक तथा गार्ड दोनों को अन्य गति प्रतिबंधों का भी पालन करते हुए दिन में जब आगे की दृश्यता साफ हो तो प्रतिबंधित गति से जो 60 कि0मी0प्र0घं0 से ज्यादा नहीं हो तथा रात्रि में 30 कि0मी0प्र0घं0 से आगे बढ़ने तथा किसी अवरोध से पहले जो पार्श्ववर्ती लाइन/लाइनों में शिरोपरी उपस्कर की विषमता एवं किसी अतिलंघन के कारण हो सकती है, रूकने हेतु तैयार रहने के लिए एवं सतर्क दृष्टि रखने हेतु सतर्कता आदेश नहीं दे दिया गया हो। चालको को भी सूचित किया जाएगा कि आगामी स्टेशन पर पहुंचने पर तत्काल रिपोर्ट करें कि सेक्शन जिसपर से वह पास किया है वह गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं।

(iv) यह अभिनिश्चित करने के पश्चात कि पार्श्ववर्ती ट्रैक पर कोई अतिलंघन नहीं है, सतर्कता आदेश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा कि निर्देशित है।

*(v) **सेक्शन जिसमें प्रभावित गाड़ी है** :–*

विषमता के प्रकृति (असामान्य स्थिति) के बारे में प्रभावित गाड़ी के चालक दल से सूचना प्राप्त होने के पश्चात मुख्य नियंत्रक/ उप मुख्य नियंत्रक (पाली डयुटी) तथा संबंधित विभाग के नियंत्रक से सलाह करके शिरोपरी उपस्कर को पुनः आवेशित करने के संबंध में सेक्शन नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(vi) यदि प्रभावित गाड़ी का चालक कर्षण शक्ति नियंत्रक/नियंत्रक से संपर्क करता है और गाड़ी पर कोई खराबी नहीं पाता है, शिरोपरी उपस्कर के पुनरारम्भ होने पर नियंत्रक द्वारा दिन में जब आगे की दृष्यता साफ हो तो प्रतिबंधित गति जो 60 कि0मी0प्र0घं0 से अधिक नहीं हो और रात्रि में 30 कि0मी0प्र0घं0,तथा अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए तथा गाड़ी पर किसी विषमता के लिए सतर्क दृष्टि रखते हुए ब्लॉक सेक्शन को साफ करने हेतु उसे कहा जाएगा। स्टेशन पहुंचने पर संबंधित विभाग के कर्मचारी द्वारा गाड़ी की जांच की जानी चाहिए। यदि कोई विषमता नहीं पाया जाता है तो गाड़ी का पुनरारम्भ सामान्य गति से किया जाना चाहिए।

(9) *शिरोपरी उपस्कर के ट्रीपींग/शिरोपरी उपस्कर में नो–टेंशन की स्थिति में चालक तथा गार्ड के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः–*

(i) शिरोपरी उपस्कर के क्षणिक ट्रीपींग के मामले में चालक सामान्य ट्रैक्शन का पुनर्गहण करेगा और यह देखने के लिए कि कोई विषमता/अवरोध है, पार्श्ववर्ती लाइन/लाइनों पर भी चौकस निगाह रखेगा तथा शिरोपरी उपस्कर में ट्रीपींग के बारे में सीटी संकेत या वॉकी टॉकी के माध्यम से गार्ड को सूचित करेगा। गाड़ी का गार्ड अपनी गाड़ी पर किसी विषमता के लिए सतर्क दृष्टि रखेगा। सहायक चालक को गाड़ी के पीछे की ओर देखना चाहिए और किसी असामान्यता के बारे में अपनी गाड़ी का अवलोकन करना चाहिए।

(ii) यदि शिरोपरी उपस्कर में नो–टेंशन जारी रहता है तो चालक तत्काल लोको फ्लेशर का स्विच 'ऑन' कर देगा और गति को नियंत्रित करेगा (रात्रि में 60 कि0मी0प्र0घं0 से अधिक नहीं) ताकि किसी अवरोध से पहले रूकने में समर्थ हो और पहले आपात सॉकेट के नजदीक अपनी गाड़ी को रोकेगा और शिरोपरी उपस्कर में नो–टेंशन के कारण को जानने के लिए कर्षण शक्ति नियंत्रक/नियंत्रक से संवाद स्थापित करेगा। नियंत्रण कक्ष से मशविरा के अनुसार चालक दल को कार्य करना चाहिए।

(iii) यदि कर्षण शक्ति नियंत्रक/नियंत्रक के साथ तत्काल संवाद सम्भव हो तो चालक, सहायक चालक को नीचे उतरने और अपने गाड़ी में और साथ ही लोकोमोटिव में किसी विषमता/किसी खराबी को गार्ड के साथ देखने हेतु गाड़ी की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। गाड़ी की जांच करने के पश्चात चालक/गार्ड विषमता के बारे में तथा आवश्यक सहायता यदि कोई है या अन्यथा के बारे में दूसरे लाइन के टेलीफोन, वॉकी–टॉकी, समपार फाटक या दूसरे दिशा की गाड़ी या संचार के किसी अन्य साधन के माध्यम से सेक्शन नियंत्रक को सूचित करेगा तथा कंट्रोल के मशविरा के अनुसार कार्य करेगा । यदि अपनी गाड़ी में कोइ विषमता नहीं देखता है तो चालक को लोको फ़्लेशर के स्विच को 'ऑफ' कर देना चाहिए।

(iv) यदि इसी बीच शिरोपरी उपस्कर की उर्जा आपूर्ति पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो चालक, जैसे ही उसके जानकारी में आता है कि ऐसी आपूर्ति का पुनरारम्भ हो गया है, सामान्य ट्रैक्शन का पुनर्ग्रहण करेगा।